जल संसाधन विभाग

रा० प्रा०
Civil कंडिका

[लोक ले० स० प्रकाशन संख्या 385

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-376वाँ

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (रा० प्रा०) एवं (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

उपस्थापन की तिथि.......................

[लोक ले. स. प्रकाशन संख्या 385

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-376वाँ

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (रा॰ प्रा॰) एवं (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

उपस्थापन की तिथि........................

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	5-6
2.	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय	7
3.	प्राक्कथन	8-9
4.	प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	13-42
5.	परिशिष्ट	43-120

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा	स.वि.स.

सदस्यगण:

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी	स.वि.स.
3.	श्री रामचन्द्र राय	स.वि.स.
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव	स.वि.स.
5.	श्री शोभाकान्त मंडल	स.वि.स.
6.	श्री गिरिधारी यादव	स.वि.स.
7.	श्री मुनीलाल यादव	स.वि.स.
8.	श्री प्रेम कुमार	स.वि.स.
9.	श्री राम नारायण मंडल	स.वि.स.
10.	श्री प्रभु दयाल सिंह	स.वि.स.
11.	श्री हरि नारायण सिंह	स.वि.स.
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव	स.वि.स.
13.	श्री रामनाथ ठाकुर	स.वि.स.
14.	श्री चण्डी प्रसाद	स.वि.प.
15.	श्री बालदेव महतो	स.वि.प.
16.	प्रो॰ नवल किशोर यादव	स.वि.प.
17.	श्री वाल्मेश्वर सिंह भारती	स.वि.स.
18.	डा॰ मु॰ शमीम	स.वि.प.

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा	स.वि.स.

संयोजक

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी	स.वि.स.

सदस्यगण

3.	श्री रामचन्द्र राय	स.वि.स.
4.	श्री राम नाथ ठाकुर	स.वि.स.
5.	श्री मुनी लाल यादव	स.वि.स.
6.	डा॰ मो॰ शमीम	स.वि.स.

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ. कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, बिहार एवं झारखंड, पटना।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।

वित्त विभाग

1. श्री एम.एन. प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।
2. श्री एस.के. केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।
3. श्री वैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे.पी. पाल, सचिव।
2. श्री ब्रज किशोर सिंह, 'प्रभात', उप सचिव।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी।
9. श्री चंचन मंडल, प्रधान टंकक।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है। आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान नि:स्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुए थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था। देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाीही की दखल अंदाजी बढ़ती गई। साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उनपर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमश: नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढांचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढाँचे की मजबूती प्रदानक रने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौंपी है। यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति 'जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक' बताया गया है। इसी रोशनी में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित् किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक 15 वर्षों के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए

जल संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है। समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही है। इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था। इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियन्ताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ। इसके लिए विशेषकर सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाकिधारीगण भी धन्यवाद के पात्र हैं। अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

रामदेव वर्मा
6.3.2002.

पटना :
दिनांक 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति

प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1992-93 की कंडिका-1.5

कडिका-1.5-कर/शुल्क संबंधी छल अपवंचन

वर्ष के प्रारम्भ में लंबित कर और शुल्क से संबंधित छल और अपवंचन के मामले विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों की संख्या, उन मामलों की संख्या जिसमें वर्ष के दौरान कर निर्धारण/जाँच सम्पन्न हुए तथा व्यवसायियों या अन्य कर दाताओं के विरूद्ध कर/शुल्क की अतिरिक्त मांग (अर्थदंड आदि सहित) की गयी तथा मार्च 1993 के अंत में निपटारे के लिए लंबित मामलों की संख्या जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार है :–

विभाग	लंबित मामले जैसा 31 मार्च 1992 को था	1992-93 के दौरान पता लगाये गये मामले	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण पूरा किया गया था तथा अर्थदंड आदि सहित अतिरिक्त मांग की गई थी	31 मार्च 1993 को निपटारे के लिए लंबित मामले
1	2	3	4	5
जल संसाधन	7176	शून्य	शून्य	7176

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश:

समिति इस निर्देश के साथ कि लंबित मामलों को विभाग अपने स्तर से समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करे । समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1992-93 की कंडिका- 1.7

कंडिका- 1.7- असंग्रहीत राजस्व:

प्रमुख शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 1993 को बकाया राजस्व जैसा कि

िभाग ने प्रतिवेदित किया है, इस प्रकार है :–

(राशि करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	संग्रहण के लिए लंबित बकाया	पॉंच वर्षो से अधिक का बकाया	अभ्युक्तियॉं
जलदार	85.24	41.93	85.24 करोड रूपये में 1.22 करोड रूपये की मांग के लिए बकाय भू–राजस्व की वसूली की तरह नीलाभवाद दायर किये गये 10.11 करोड रूपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गई 0.99 करोड रूपये की वसूली परिशुद्ध/ पुनर्विलोकन के आवेदन के कारण रूकी पडी थी । शेष बकाये 83.82 करोड रूपये के संबंध में की गई निश्चित कार्रवाई के बारे में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है । यद्यपि इसकी मॉग की गई थी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशः

समिति समझती है कि विभाग 83.82 करोड रूपये की कार्रवाई में शिथिलता बरती है ।

समिति इस निर्देश के साथ कि विभाग इसकी जॉंच कर स्वयं कार्रवाई करें। अब समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1992–93 की कंडिका– 1.10

कंडिका–1.10– लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियॉः

जल संसाधन विभाग ने संबंधित दिसम्बर 1992 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों जिनका निपटारा विभाग द्वारा 30 जून 1993 तक नहीं किया गया था, की संख्या इस प्रकार है:–

विभाग	राजस्व शीर्ष	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है।	अन्तग्रस्त राशि (करोड़ रूपये में)
जल संसाधन	जलकर	446	1421	1980–81	217.06

यद्यपि सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के अंदर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, परन्तु दिसम्बर 1992 तक निर्गत 185 निरीक्षण प्रतिवेदनों के विषय में प्रथम उत्तर विभाग द्वारा जून 1993 तक प्राप्त नहीं हुए थे :–

विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अधिक समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है ।
जल संसाधन	जलकर	185	1980–81

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभाग शिथिलता बरते गये संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से करें।

समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1992–93 जल संसाधन विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–1.14

कंडिका–1.14–

जल संसाधन विभाग में वर्ष 1992–93 तक जलकर के मद में लंबित रकम 35.24 करोड़ थी जिसमें 41.93 करोड़ रूपये 5 वर्षो से अधिक अवधि से लंबित थी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग इसकी समीक्षा अपने स्तर से करें। समिति अब इसे आगे बढाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 का कंडिका-2.2.4

कंडिका-2.2.4- विभाग द्वारा 1992-93 के लिए प्रावधानित राशि में 26.45 प्रतिशत राशि का उपयोग हीं नही किया गया ?

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग इन अनुउपयुक्त राशि की समीक्षा कर स्वयं आवश्यक कार्रवाई करें। समिति अब इसे आगे बढाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 का कंडिका-2.2.6

कंडिका-2.2.6-

विभाग में पिछले तीन वर्षो से प्रावधानित राशि का पूर्ण व्यय नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप हर वर्षो में एक बडी राशि अनुपयोगित रही जाती है।

(करोड़ रूपये में)

1990-91	1991-92	1992-93
प्रतिशत 16.63	171.90	112.54
(4.00)	(35.60)	(26.45)

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

अनुउपयोगित राशि के कारण का विभाग समीक्षा कर कार्रवाई करे। समिति अब इसे आगे बढाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 का कंडिका-2.2.9

कंडिका-2.2.9 (क)(ग) वर्ष 1992-93 में अनुपयोगित 112.54 करोड

रूपये में से मात्र 87.61 करोड़ रूपये का ही अर्भ्यपण किया गया और वह अर्भ्यपण भी 31 मार्च 1993 को हुआ । तथा शेष 24.93 करोड़ रूपये अनभ्यर्पित ही रह गये ।

विभागीय स्पष्टीकरण:-

अव्यवहृत राशि का प्रत्यर्पण सामान्यतः 28 फरवरी से 15 मार्च के अन्दर किये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन किया जाता है । फिर भी कुछ अप्रत्याशित कारणों यथा–चेक का भुगतान नहीं हो पाना, कोषागार से विपत्र का पारित नहीं हो सकना, एवं अन्य तकनीकी उलझनों के कारण अनुमानित राशि का व्यय संभव न हो सकने की स्थिति में 31 मार्च तक शेष राशि का प्रत्यर्पण किया जाता है ।

भविष्य में इस पर विशेष सतर्कता बरती जायेगी । अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–2.4

कंडिका–2.4.1

विभाग द्वारा नई सेवा के लिए प्रावधानित 145.32 करोड़ रूपये का व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर किया गया। लेकिन परियोजनाओं का नाम एवं उन पर व्यय की गई राशि की सूचना विधान मंडल को नहीं दी गयी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभाग व्यय किये गये राशि की सूचना समय पर विधान मंडल को समर्पित करें पर तत्पर्यता वर्त्तें।

इस निदेश के साथ समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–2.7

कंडिका–2.7–

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 1992–93 में विभिन्न उपशीर्षों में हुयी बचत एवं आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार कार्यालय में समय पर नहीं भेजा गया तथा लोक लेखा समिति के 242 वें प्रतिवेदन की अनुशंसाओं की अवहेलना की गयी ।

विभागीय स्पष्टीकरणः

बजट अधिक्य के लिए सामान्य रूप से स्पष्टीकरण निम्नांकित है :–

बचत का कारणः– प्रश्नाधीन वर्षो में प्रायः यह पाया गया है कि यद्यपि उपबंध उपलब्ध था, फिर भी वेतन मद को छोड़कर कार्य एवं यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि मदों की निकासी पर वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में रोक लगा दी जाती थी । फलतः पूरी राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाता था ।

अधिक्यः– पिछले वर्षो में स्थापना मद के लिये आवंटन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी । मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत आदि मदों में प्रायः बढ़ोत्तरी की स्वीकृति सरकार द्वारा समय–समय पर दी जाती रही, जिसकी निकासी हुई । अतः जो भी बढ़ोत्तरी है वह स्थापना मद में अधिक व्यय (जिसे रोका नहीं जा सकता था) के कारण है । कार्य मद में आवंटन की पद्धति को दृढ़ता से पालन किया गया था । जिसके कारण कार्य मद में सामान्यतः कोई बढ़ोत्तरी नहीं पायी गयी है ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभाग समिति के प्रतिवेदन संख्या–242 की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन में सजगता पूर्वक अपेक्षित निदेश दें ताकि भविष्य में इसका पुर्नावृति न हो । समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका– 2.8

कंडिका–2.8–

जल संसाधन विभाग द्वारा 1992–93 में विभागीय ऑकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के ऑकड़ों के साथ मिलान नहीं करने के कारण एक बहुत बड़ी राशि असमायानित रह गयी ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

जिन कार्यालयों ने विगत वर्षो का लेखा समाधान नहीं कराया है उसे एक माह के अन्दर पूरा करने का आदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दे दिया गया है।

लेखा समाधान (रिकॉन्सिलेशन) में अब पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है तथा मुख्यालय से भी निरन्तर मोनिटरिंग किया जा रहा है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही बकाया कार्य भी पूरा कर लिया जायेगा।

उपर्युक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय ऑकड़ों का मिलान समय से महालेखाकार कार्यालय से कराने में सतर्कता बरते ताकि अनियमितता का गुंजाईश न हो। समिति इस निदेश के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.12

कंडिका–4.12–भूतही बलान नदी के आर.डी. 37.35 के आर–पार एक सुपर पैसेज का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि (513.92 लाख) से 35 प्रतिशत अधिक (693.79) लाख रूपये मूल्य पर संवेदक को सौंपा गया (जनवरी, 1986) संवेदक के साथ एकरारनामा भरा गया (फरवरी,1986) एकरारनामा में शर्त था कि समाप्त किये

गये मद के दर में सफाई, सक्रीनींग एवं धुलाई के लिए अलग दर देय नहीं होगा और इसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायगा ।

कार्यपालक अभियंता पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सिरसिया कैम्प खुटौना के अभिलेखों की जाँच से पता लगा कि एन.आई.टी., एवं एकरारनामा के शर्तो के विरूद्ध 17.17 लाख घनफीट स्टोन मेटल को तराशने एवं साफ करने हेतु एक पूरक करार (फरवरी, 1988) में अतिरिक्त कार्य के रूप में शामिल किया गया एवं 12.48 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय के समय सफाई एवं सक्रीनिंग का ध्यान रखा गया था। इसके फलस्वरूप संवेदक को 12.48 लाख रूपये का अदेय वित्तीय सहायता पर अतिरिक्त व्यय हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

भूतही–बलान के नदी के आर0डी0 37.75 के आर–पार एक सुपर पैसेज के निर्माण में प्रयोग हेतु स्टोन मेटेल, चिप्स विभिन्न स्थलों पर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वर्ष 84 में आपूर्ति की गयी थी जिसे पूरक एकरारनामा के अनुसार स्क्रीनिग वासिंग एवं विभिन्न स्थलों से कार्य–स्थल पर लाने के लिये कुल 14,88,401.9 रूपये का प्राक्कलनें तैयार किया गया।

पूरक एकरारनामा में इस पर 35 प्रतिशत अधिभार दर के साथ कुल 20,09,342.56 पैसे भगुतान हुआ।

आपूर्तिकर्त्ता से 11,63,131.47 पैसे की कटौती विपत्र से कर ली गयी। शेष बची राशि 8,46,211.09 पैसे की कटौती भी आपूर्तिकर्त्ता से करनी थी जिसके विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता का एकरारनामा के साथ जमा की गयी जमानत की राशि के रूप में 6,36,537/– विभाग में था, जिसे जब्त कर लिया गया है। शेष बची राशि 2,09,674.09 पैसे की वसूली के लिये मेसर्स हरदेव सिंह के अरनेस्ट मनी से जब्त करने का विभागीय आदेश निर्गत किया जा चुका है।

अतः विभाग द्वारा समुचित वसूली की कारवाई की जा चुकी है।

समिति का निष्कर्ष एव सिफारिशः

विभाग द्वारा दिये गये उत्तर से समिति संतुष्ट है, इस कंडिका को समिति निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.13

कंडिका–4.13– व्यर्थ व्ययः

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल–1, पूर्णिया द्वारा कोरहा गोला डिस्ट्रीब्यूटरी के आर.डी.–44.1 पर आरपार प्रनाल (क्रोस ड्रेनेज) विशेष मरम्मति कार्य को 2.03 लाख के मूल्य पर संवेदक को सौंपा गया । कार्य 1.88 लाख के व्यय पर पुरा हो गया एवं 1.18 लाख रूपये भुगतान किया गया शेष 0.70 लाख का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि नहर से पानी छोड़ने पर आर–पार प्रनाल (क्रॉस ड्रेनेज) क्षतिग्रस्त हो गया (जनवरी 1990)। मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पूर्णिया (मार्च, 1990) ने क्षति के कारणों के लिए अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुरूप कार्य नहीं किया जाना तथा मानक से कम सीमेंट एवं निम्न कोटि के बालू का प्रयोग किया जाना एवं निरीक्षण की कमी बताया। विभागीय अधिकारियों एवं संवेदक के विरूद्ध प्रथम सूचना रपट दर्ज किया गया (दिसम्बर 1990) । विभाग के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को निलम्बित किया गया और संवेदक के विरूद्ध शेसन कोर्ट, पूर्णिया ने कार्यवाही जारी की। क्षति को दुरूस्त करने हेतु यह कार्य दूसरे संवेदक को 3.93 लाख रूपये के अनुमानित लागत पर (जून 1990) सौंपा गया जिसे 2.88 लाख रू0 की लागत पर (फरवरी 1990) कार्य सम्पन्न किया गया । नहर से अधिक जल छोड दिए जाने के कारण यह कार्य यह कार्य पुनः क्षतिग्रस्त हो गया (अगस्त 1990) अधीक्षण अभियंता, कोशी परियोजना, पूर्णिया ने पर्यवेक्षी पदाधिकारियों (सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता) से स्पष्टीकरण माँगा किन्तु विभाग द्वारा मामले का अनुसंधान दिसम्बर 1993 तक जारी था । इस प्रकार विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित पर्यवेक्षण हीं किए जाने के कारण 3.86 लाख रू0 का व्यर्थ व्यय हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरणः

सिंचाई प्रमंडल सं0–1, पूर्णियाँ में 20.01.90 को संरचना का विंग वाल टूट गया । इस संरचना पर रूपये

1.17 लाख खर्च हुआ था, इसके लिए चार पदाधिकारियों को विभागीय आदेश संख्या–65 दिनांक 15.03.96 विभागीय आदेश संख्या–346 दिनांक 18.05.94, विभागीय आदेश संख्या–190 दिनांक 10.05.94 एवं विभागीय आदेश संख्या–967 दिनांक 12.09.97 के द्वारा दण्डित किया गया । इनको निलंबित कर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलायी गयी थी ।

2. इसमें एक क्रिमिनल केस भी दायर किया गया है, जिसमें पुलिस में अनुसंधान के पश्चात् फाईनल रिपोर्ट किया, किन्तु फिर भी विभाग ने विभागीय कार्रवाई कर दण्डित किया । खगौल के जॉच प्रतिवेदन में सिमेंट की मात्रा सही पायी गयी ।

3. क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मति का कार्य कराया गया। 2.88 लाख रू0 की लागत पर । यह संरचना पुनः 08.08.90 को क्षतिग्रस्त हो गयी। इसके पश्चात् इसकी जॉच मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ द्वारा करायी गयी और 10 पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी एवं विभागीय आदेश संख्या–(क) 781 दिनांक 17.06.98 (ख) 782 दिनांक 17.06.98 (ग) 783 दिनांक 17.06.98 (घ) 784 दिनांक 17.06.98 (ङ.) 785 दिनांक 17.06.98 (च) 786 दिनांक 17.06.98 (छ) 787 दिनांक 17.06.98 (ज) 790 दिनांक 18.06.98 (झ) 791 दिनांक 18.06.98 एवं (ट) 839 दिनांक 29.06.98 द्वारा इन्हें दण्डित किया गया।

4. गुणवत्ता के सही रहने पर भी अन्य कारणों से संरचना टूटा, उसके लिए 4+10 पदाधिकारियों को दण्डित किया गया ।

5. इस तरह समुचित कार्रवाई की गयी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.14

कंडिका– 4.14– अलाभकारी व्ययः

पूर्णियाँ में दो मंजिला कार्यालय भवन एवं 3 अन्य दो मंजिला भवन (2 कमरे का एवं एक कमरे का) के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता नहर एवं अनुसंधान प्रमंडल, पर्णियाँ द्वारा आमंत्रित किए गए निविदाओं (अप्रील 1981) के आधार पर 25.38 लाख रूपये के कुल लागत पर 4 निम्नतम निविदा दाता को कार्य आवंटित किया गया (जनवरी 1983)। इस कार्य को कार्य आवंटन की तिथि से 120 दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जाना था। मार्च 1985 तक संवेदकों को 12.35 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया था परन्तु दिसम्बर 83 तक कार्य पूरा नहीं हो सका था। लेखा परीक्षा के द्वारा पूछे जाने पर (मई 1992) कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जनवरी 1984 से अप्रील 1988 के बीच प्रमंडल को अस्थायी तौर पर बीरपुर स्थानान्तरित किए जाने एवं निधि के अभाव के कारण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। उत्तर संतोषप्रद नही था क्योंकि प्रमंडल को दिए गए निधि का आवंटन कार्यवार रूप में नही दिखाया गया एवं वर्ष 1982–87 के दौरान उपलब्ध आवंटन का व्यय अग्रता के आधार पर नहीं की गई। अभिलेख में इसके कारण उपलब्ध नहीं थे।

लेखा परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि मार्च 1985 तक संवेदक को निर्गत किए गए 1.16 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियाँ दिसम्बर 1993 तक अव्यवहृत/असमायोजित रहे । इसके अतिरिक्त जनवरी 1987 में संवेदक को 0.30 लाख रूपये मूल्य की ईट एवं 0.11 लाख रूपये मूल्य 357 घनफीट स्टोन चीप्स निर्गत किए गए । ऐसा यह जानते हुए भी किया गया कि मार्च 1985 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं थी ।

इस प्रकार अपूर्ण असैनिक कार्यो पर 12.35 लाख रूपये का व्यय अलाभकारी रहा एवं 1.27 लाख रूपये मूल्य की सामग्री की वसूली संवेदक से नहीं की जा सकी ।

मामले से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था (जनवरी

1994) एवं उनका उत्तर अप्राप्त हैं ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पूर्णियाँ एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णियाँ के कार्यालय हेतु एक दो मंजिला भवन के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा वर्ष 1981 में निविदा के आधार पर 25.38 लाख का कार्य न्यूनतम दरदाता को आवंटित किया गया। कार्य का आवंटन जनवरी 1983 में किया गया। कार्य को पूरा करने की तिथि आवंटन की तिथि से 120 दिन थी।

सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नही हुआ। वर्ष 1985 तक संवेदक को मात्र 8.37 लाख रूपये का भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा संवेदक को 12.35 लाख रूपये का भुगतान दिखाया गया है जो सही नही है। वर्ष 1985 के बाद इस कार्य हेतु निधि प्राप्त नहीं हो सका, फलस्वरूप कार्य अधूरा पड़ा रहा।

वित्तीय वर्ष 2001–02 में निधि उपलब्धता के कारण अवशेष कार्य को पूरा कर लिया गया एवं उसमें मुख्य अभियंता का कार्यालय कार्यरत है।

अतः वर्णित स्थिति में पूर्व में कराया गया कार्य का व्यय निसफल नहीं कहा जा सकता है।

पूर्व में संवेदक को निर्गत सामग्री का मूल्य 1.57 लाख रूपये की वसूली श्री अशोक कुमार सिंह, प्रभारी कनीय अभियंता का प्रभार का मामला न्यायालय में अभी लंबित है। मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ को न्यायालय मामले में पैरवी एवं सजगता बरतने हेतु निदेशित किया गया है।

अतएव वर्णित परिस्थिति में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.15

कंडिका–4.15– सरकार को हानि

यांत्रिक प्रमंडल बाल्मिकी नगर के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पता लगा कि प्रमंडल के द्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकार को विभिन्न दरों पर भुगतान किया गया जो जनवरी 1988, जून 1989, फरवरी 1990 एवं जनवरी 1991 में क्रमशः 0.85 लाख रूपया, 1.10 रूपया, 1.20 रूपया एवं 1.31 रूपया प्रति यूनिट (के.डबलू.एच.) थे। परन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से 0.31 रूपये प्रति यूनिट (के.डबलू.एच.) की पुराने दर पर वसूली की गई। दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव मुख्य अभियंता यांत्रिक को नवम्बर 1990 में भेजा गया। जनवरी 1988 से दिसम्बर 1993 तक विभाग द्वारा कर्मचारियों से उचित दर पर विद्युत प्रभार नहीं वसूलने के कारण राज्य सरकार को 18.08 लाख रूपये की हानि हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण:

गंडक परियोजना में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से 10 यूनिट रियात के पश्चात् 0.31 पैसे प्रति यूनिट के दर से विद्युत शुल्क की वसूली वर्ष 1987 के पूर्व से की जाती थी ।

2. सूर्यपुरा नेपाल, जल विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त होनेवाली विद्युत उर्जा दर जनवरी 1988 से भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के एकरारनामा के अनुसार बढ गया। तद्नुसार गंडक परियोजना के कर्मियों से बढ़े दर पर शुल्क वसूली करने की कार्रवाई की गई। परन्तु कर्मचारी संघ द्वारा इस संबंध में आपत्ति के कारण इस मामले का समाधान शीघ्र नहीं हो सका क्योंकि मामला तीन कार्यालयों यथा नेपाल जल विद्युत प्राधिकरण, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित था ।

3. अन्ततः 24–26 जुलाई 1997 को सम्पन्न भारत नेपाल उर्जा विनियमन समिति की बैठक में की गई व द्धि तथा दिनांक 27.9.97 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सरकारी उपभोक्ताओं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सरकारी आवासों, निजी उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर का निर्धारण जनवरी 1997 से प्रति यूनिट 2.39 रू0 के दर से किया गया (ज्ञाप सं0–1074 दिनांक 24.10.97)

4. उक्त नव निर्धारित दर के विरोध में बिहार राज्य सिंचाई कर्मचारी संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सी0डबलू0जे0सी0 4020/98 दायर की गई। इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.6.98 को पारित अन्तरिम न्याय निर्णय से तत्काल नये बढ़े दर पर विद्युत शुल्क की वसूली पर रोक लगा दिया गया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से समिति संतुष्ट है, इस कंडिका को निष्पादित किया जाता है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.16

कंडिका–4.16– सरकारी राशि का गबन:

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सितम्बर 1989 से जून 1991 के बीच पूर्णियाँ स्थित तीन रूपांकण प्रमंडलों सं0–(I, II एवं III) में जाली मेंसेन्जरों के द्वारा जाली स्वीकृति के आधार पर जाली जी.पी.एफ. अग्रिम के मद में कुल 31.50 लाख रूपये की निकासी की गई रूपांकण प्रमंडल सं0–I के एक कर्मचारी के विरूद्ध दिनांक 5 जून 1991 को प्रथम सूचना रपट दर्ज किया गया एवं उन्हें 7 जून 1991 से निलम्बित कर दिया गया। सितम्बर 1991 तक प्रकाश में नहीं आए जाली निकासी का मुख्य कारण कोडल प्रावधानों के अनुरूप कोषागार अभिलेखों से कोषागार से निकाली गई राशि की नियमित जॉच न होना था। जिला अधिकारी, पूर्णियाँ ने इसकी जॉच सितम्बर 1991 में कार्रवाई और पाया कि गबन में कोषागार के कर्मचारी प्रमंडलों के कर्मचारी एवं बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे।

विभागीय स्पष्टीकरण:

पूर्णियाँ ट्रेजरी से रूपांकण प्रमंडल सं0–1, रूपांकण प्रमंडल सं0–2 एवं रूपांकण प्रमंडल ड्रेनेज एण्ड इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के नाम पर जी0पी0एफ0 हेड से 31.50 लाख रूपये के फर्जी निकासी की गयी। इसके लिए 06 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी, जिसमें से एक

कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । एक दूसरे कर्मचारी को (क) वेतनमान् के न्यूनतम प्रक्रम पर (ख) निलंबित अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नही होगा,किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी तथा शेष 04 कर्मचारियों को (क) निन्दन (ख) दो वेतनव द्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ग) निलंबित अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नही होगा परन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी, का दण्ड दिया गया ।

2. एफ0 आई0आर0–149 दिनांक 5.6.99 में पूर्णियॉ पुलिस की ओर से चार्जशीट सबमिट किया गया है। यह फॉडलेन्ट विथड्रॉल 9/89 से 3.6.91 तक हुआ और 3.6.91 को इसका प्रथम डिटेक्सन ब्रॉच मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक पूर्णियॉ ने किया । बाद में वित्त विभाग के अंकेक्षण दल ने भी इसकी जॉच की ।

3. ट्रेजरी के कौलुशन के बिना फॉडलेन्ट विथड्रॉल असम्भव है अतः ट्रेजरी के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी सूचना वित्त विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से समिति संतुष्ट है। इस कंडिका को निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.17

कंडिका–4.17 अलाभकारी व्यय;

भैरवा जलाशय योजना के तहत चेन 0 से 74 तक पूर्वी तटबंध के निर्माण हेतु कार्य को 639.63 लाख रूप्ये के अनुमानित मूल्य पर आठ समूहों में बॉटा गया। कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग के द्वारा नवम्बर 1986 में निविदा आमंत्रित की गई बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड

ने समूह 2 से 7 तक के कार्यों के लिए अनुमानित मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक दर पर निविदा समर्पित किया । निगम के द्वारा निवेदित दर के अनुसार कार्य का पूरा मुल्य 539.90 लाख रू0 आँका गया जबकि दूसरे संवेदकों द्वारा निवेदित दर के अनुसार यह केवल 437.05 लाख रू0 था। फिर भी मुख्य अभियंता दिसम्बर 1986 में न्यूनतम निविदादाताओं के दर की उपेक्षा कर निगम को उनके द्वारा निवेदित दरों पर कार्य आवंटित कर दिया जिसके कारण 102.85 लाख रू0 का विभाग को अतिरिक्त भार पड़ा जिसका कोई कारण अभिलेख में नहीं था । कार्य को जून 1988 तक पूरा हो जाना था फिर भी अप्रील 1992 तक कार्य पूरा नहीं हुआ जबकि उस पर 380.85 लाख रू0 निगम को भुगतान कर दिया गया । चूँकि जुलाई 1993 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इस पर किये गये व्यय (380.85 लाख रू0) व्यर्थ सिद्ध हुआ । इसके अतिरिक्त द्वितीय निम्नतम निविदा दाता को कार्य प्रदान करने के कारण 102.85 लाख रू0 का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

भैरवा जलाशय योजना, हजारीबाग जिला के गोला प्रखंड में अवस्थित है, जिसमें भैरवा रिभर पर एक बांध तथा दो नहर के माध्यम से 4800 हे0 मे सिंचाई प्रस्तावित है। इस योजना की मूल प्राक्कलित राशि 848.61 लाख (वर्ष 1984) तथा अंतिम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 2018.85 लाख (1988) है। इस योजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त है ।

भैरवा जलाशय योजना के मिट्टी बांध के निर्माण हेतु कुल 8 समुह में निविदाएँ आमंत्रित की गयी, जिसमें अन्य संवेदकों के साथ बिहार राज्य निर्माण निगम जो जल संसाधन विभाग का एक उपक्रम है, ने भी भाग लिया। बिहार राज्य निर्माण निगम ने अनुसूचित दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर निविदा समर्पित्त किया। बिहार राज्य निर्माण निगम को आर्थिक स्थिति को देखते हुए एवं निगम के सृजन के मूलभूत सिद्धान्तों के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 24/द.सि.यो. 1 1072/85–534 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि बिहार राज्य निर्माण निगम द्वारा दी गयी निविदा अनुसूचित दर से 5 प्रतिशत तक की सीमा में हो तो कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को

आवंटित किया जाय। इसकी आलोक में यह कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित किया गया, जिसपर मुख्य अभियंता,रांची द्वारा जल संसाधन विभाग की सहमति पत्रांक (फाल्डर संख्या 1849/एस. 13 6069/86 दिनांक 6 जून 1987 द्वारा प्राप्त की गयी । इस प्रकार बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित कार्य में कोई अनियमितता नही हुई है ।

बिहार राज्य निर्माण निगम को इस कार्य में किये गये अग्रिम भुगतान का सामंजन अंतिम विपत्र तक कर लिया गया है ।

इस योजना के अन्तर्गत अबतक 60 प्रतिशत डैम का कार्य 15 प्रतिशत स्पिलवे का कार्य तथा लगभग 10 प्रतिशत नहर का मिट्टी कार्य किया जा चुका है। वर्ष 1995–96 के दर पर अवशेष कार्य का लागत मूल्य 155.40 लाख है।

जहाँ तक इस योजना को समयाधीन पूरा नहीं करने का प्रश्न है यह विलम्ब मुख्यतः भू–अर्जन की प्रक्रिया में विलम्ब एवं प्रभावित कृषकों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण है। वर्ष 1990 के उपरान्त वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इस योजना को अपेक्षित राशि आवंटित नहीं की जा सकी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभाग द्वारा किए गए कार्रवाई से समिति संतुष्ट है। विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.18

कंडिका–4.18– त्रुटिपूर्ण रूपांकण के कारण व्यर्थ व्यय.

बागमती सिंचाई योजना के अन्तर्गत बागमती नदी के ठीक किनारे सारमार हाट हरैया घाट तटबंध से 6कि.मी. पर स्केप रेगुलेट निर्माण के लिए 58.78 लाख रू0 की तकनीकि स्वीकृति मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, समस्तीपुर द्वारा सितम्बर 1988 में दी गई । मुख्य अभियंता, रूपांकण/चित्रांकण के द्वारा वर्ष 1988–89 में दी गई अनुमोदन के आधार पर मार्च 1989 में बिहार राज्य

निर्माण निगम को कार्य आवंटित किया गया । कार्य पूरा करने की अनुबंधित तिथि जून 1989 थी । निगम को जुलाई 1989 तक 8.19 लाख रूपये भुगतान के बाद विभाग ने रूपांकण/चित्रांकण में अपेक्षित परिवर्त्तन के कारण काम बंद करवा दिया । संशोधित रूपांकण/चित्रांकण केन्द्रीय रूपांकण संगठन पटना से जनवरी 1991 में प्राप्त किया गया । बिहार राज्य निर्माण निगम ने वर्त्तमान दर से 5 प्रतिशत अधिक पर कार्य आवंटित करने को कहा । कार्य न तो पुनः आवंटित किया गया और न अनुबंध ही जनवरी 1993 तक निरस्त किया गया । इस प्रकार स्थाई रूपांकण के बिना तथा मिट्टी जॉच किये बिना कार्य कराने से 8.90 लाख रू0 का व्यर्थ व्यय हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरणः

सोरमारहाट–हायाघाट तटबंध में वर्ष 1987 में जटमलपुर के पास 6.00 कि0मी0 पर स्केप रेगुलेटर का कार्य, जिसकी तकनीकी स्वीकृति 58.78 लाख रूप्ये की प्रदान की गई थी , नार्च 1989 में प्रारम्भ हुआ निर्माणाधीन संरचना के आलेख्य में की गई भारवहन क्षमता से अधिक होने के कारण रूपांकण को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी। संशोधित कार्यकारी नक्शों के आधार पर इस संरचना एवं निर्माण में हो रहे जन विरोध के क्रम में यह मससूस किया गया कि 1000 क्यूसेक जलश्राव, जिसके लिये नक्शा बना था, को बाढ़ के समय बिना अतिरिक्त क्षेत्र को जलप्लावित किये बुढ़ी गंडक नदी में गिराना संभव नहीं हो पायेगा एवं इससे सोरमारहाट हायाघाट एवं बुढ़ी गंडक बांया तटबंध के बीच के सुरक्षित क्षेत्रों में जल–जमाव की विकराल समस्या खड़ी हो जायेगी। इस आलोक में इस स्लूईस के जल वहन क्षमता (क्पेबींतहमद्ध को पुनः सर्वेक्षण कर फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई। उपर्युक्त आलोक में पुनः सर्वेक्षण कर 250 क्यूसेक जलश्राव पर रूपांकण ऑकड़े आलेख्य बनाने हेतु रूपांकण संगठन को प्रेषित किया गया तथा इसके अनुमोदन के पश्चात् इसका निर्माण लगभग पूरा कराया जा चुका है। मात्र सुलिस में गेट लगाना शेष है जो वित्तीय वर्ष 2001–2002 में पूरा करने का लक्ष्य है। इस संरचना को प्राक्कलित राशि 50.9555 लाख है।

वर्ष 1989 में बिहार राज्य निर्माण निगम द्वारा आरंभ किये गये कार्य

में निगम को 4.05 लाख संगठन अग्रिम के रूप में एवं 4.14 लाख रूपये कार्यमद में भुगतान किया गया। कार्य मद का भुगतान मुख्यतः शीट पाईल की आपूर्ति एवं कराये गये शीट पाईलिंग के रूप में किया गया था। स्वीकृत पुनरीक्षित आलेख्य के अन्तर्गत निगम द्वारा कराये गये शीट पाईलिंग का उपयोग स्थल पर कर लिया गया है। शेष आपूरित शीट पाईल का भी उपयोग अन्यत्र नई सुलिस निर्माण योजना में किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2002में पूरा करना है। बिहार राज्य निर्माण निगम एक सरकारी उपक्रम है एवं उन्हें जो संगठन अग्रिम के रूप में 4.05 लाख राशि दी गयी है, उसके समायोजन की प्रक्रिया की गयी है। इसलिए कुल 8.19 लाख रूपये का किया गया व्यय व्यर्थ नहीं माना जा सकता है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय कार्रवाई से समिति संतुष्ट हो इस कंडिका को निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.19

कंडिका–4.19– व्यर्थ व्ययः

पूर्णियाँ एवं कटिहार जिलों के वृहत क्षेत्र से जल जमाव निस्सरण एवं क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के दृष्टिकोण से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ ने निविदा माँगने (अप्रील 1989) के बाद 155.60 आर.डी. एवं 184 आर.डी. के बीच मिट्टी का कार्य 23 संवेदकों को 62.69 लाख रू0 की लागत पर सौंपा । कार्य जून 1990 तक पूरा करना था। लेखा परीक्षा के दौरान (मई 1992)। पाया गया कि संवेदकों ने कार्य अनुबंध अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जबकि संवेदकों को 123.88 लाख सी.एफ.टी. मिट्टी कार्य के लिए 23.15 लाख रू0 का भुगतान कर दिया गया। मुख्य अभियंता ने मई 1991 में कहा कि निधि की कमी के कारण कार्य में आगे प्रगति नहीं हुई। अपूर्ण कार्य दिसम्बर 1993 तक शुरू नहीं किया गया था। इस प्रकार विभाग ने कार्य के लिए बिना वित्तीय संसाधन का पता लगाये कार्य चालू किया जिसके

फलस्वरूप परियोजना का निर्दिष्ट लक्ष प्राप्त नहीं हो सका। साथ ही 23.15 लाख रू. का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

(i) भैंसनाधार जल निस्सरण योजना की लम्बाई वि0दू0–0 स वि0दू0 184.00 है।

(ii) इस जल निस्सरण योजना की प्राक्कलित राशि 208.21 लाख है।

(iii) इसमें मिट्टी कार्य की मात्रा 291.45 लाख सी.एफ.टी. है ।

(iv) इसकी तकनीकी स्वीकृति अक्टूबर 89 तथा कार्य समाप्ति की तिथि जून 1990 थी ।

जल निस्सरण योजना में कार्य टेल–इनड से करने का निर्देश है। इसके तहत वि0दू0 184 से वि0दू0 150.60 तक कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें 123.88 सी.एफ.टी. मिट्टी कार्य के विरूद्ध 23.15 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

कोशी फेज–2 के लिए निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 91 से ही कार्य बंद पड़ा है । कराये गये कार्य को असफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जल निस्सरण योजना का कार्य अंतिम छोर से प्रारम्भ किया गया जो तकनीकी दृष्टिकोण से सही है, योजना के सम्पूर्ण कार्य पूरा नहीं होने पर भी आंशिकरूप से लाभ मिलना शुरू हो गया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.20

कंडिका–4.20– संवदक को अधिक भुगतान:

चेन 679 से 680 एवं 681 से 697 तक पुनाली मुख्य नहर के उत्खणन का कार्य अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल,बेतिया द्वारा अक्टूबर 1986 में 8.13 लाख रू. की लागत पर जुलाई'87 में पूरा करने के लिए एक संवेदक को सौंपा गया। 12 लेखागत विपत्रों के द्वारा मई 1990 तक संवेदक को 9.67 लाख रू0 का भुगतान कर दिया गया। सिंचाई प्रमंडल, देवघर द्वारा 30 जनवरी 1991 को कार्यों का अंतिम माप किया गया जिसके अनुसार संवेदक को मात्र 6.07 लाख रू0 ही भुगतेय था। इस प्रकार पिछले 12 विपत्रों में दर्शाये गये अधिक माप के कारण संवेदक को 3.60 लाख रू0 का अधिक भुगतान प्रमंडल द्वारा किया गया। जनवरी 1994 तक संवेदक से राशि नहीं वसूली जा सकी थी। संवेदक को किये गये अधिक भुगतान की वसूली नहीं करने का कारण पूछने पर कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, देवघर (जनवरी 1994) ने बताया कि मामला राज्य सरकार के निगरानी विभाग के जॉच के अन्तर्गत है।

विभागीय स्पष्टीकरण:

सिंचाई प्रमंडल, देवघर, पुनाली में मुख्य नहर के कार्यो में हुई अनियमितता के लिए उडनदस्ता से जॉच कराई गयी एवं जॉच के बाद 12 पदाधिकारियों के विरूद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलायी गयी एवं उन्हें निम्न विभागीय आदेशों 283 दिनांक 15.3.01, 290 दिनांक 15.03.2001, 291 दिनांक 15.03.2001, 292 दिनांक 15.03.2001, 293 दिनांक 15.03.2001, 296 दिनांक 15.03.2001 (मृत) 299 दिनांक 16.03.2001, 302 दिनांक 16.03.01, 295 दिनांक 15.03.2001, 294 दिनांक 15.03.2001, 289 दिनांक 15.03.2001, 288 दिनांक 15.03.2001 एवं 287 दिनांक 15.03.2001 के द्वारा दंडित किया गया ।

2. चेन सं0–679 से 680 एवं 681से 697 के बीच 3.60 लाख रूप्ये की रीकभरी बिहार राज्य निर्माण निगम से हो चुकी है ।

3. अतः विभाग द्वारा समुचित कार्रवाइ की गई है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर से समिति संतुष्ट है। समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.21

कंडिका–4.21– संवेदक को अनुचित वित्तीय लाभ:

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सिरसिया, खुटौना द्वारा भूतही बलान नदी के आर–पार 37–75 आर.डी. पर गाईड बॉध के निर्माण कार्य के लिए एक संवेदक से 10 फरवरी 1986 में अनुबंध किया गया। कार्य जून 1987 में 60.49 लाख रू. के लागत पर पूरा हुआ ।

लेखा परीक्षा के दौरान पता चला कि इस कार्य से संबंधित अनुबंध त्रुटि पूर्ण था। अनुबंध के अनुसार संवेदक को 20 प्रतिशत अधिमूल्य देने के लिए विभाग द्वारा आपूरित सामग्रियों को लागत लेखा में नहीं लिया जाना था। संवेदक को देय शुद्ध दावा 26.30 लाख रू. था तथा 23.91 लाख रू. विभाग द्वारा आपूरित सामग्रियों की कीमत थी। दोनों मिलाकर 50.41 लाख रू0 का दावा संवेदक ने प्रस्तुत किया जिसे 20 प्रतिशत अधिमूल्य देकर पारित किया गया जिसके कारण विभाग को 10.08 लाख रू0 का अधिमूल्य भुगतान करना पडा। इस प्रकार विभाग द्वारा आपूरित सामग्री (23.91 लाख रू0) मूल्य पर भी अधिमूल्य का भुगतान किया गया जिसके कारण विभाग ने 4.78 लाख रू0 का अनुचित लाभ संवेदक को दिया।

विभागीय स्पष्टीकरण:

1. मार्च 82 के पूर्व टेन्डर में आईटम रेट का प्रावधान था ।

2. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षण कोषांग के प्त्रांक 46" दिनांक 30.3.82 (संलग्न) के कंडिका 13 के अनुसार ओभर ऑल फीनिशड् रेट पर कम या अधिक दर प्रतिशत के आधार पर कोट (फनवजमद्ध करना है।

3. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षण कोषांग के पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.83 (संलग्न) में विभागीय सामग्रियों के निर्गम दर का कोई मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं है।

4. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षण कोषांग के पत्रांक 1399 दिनांक 30.6.89 में भी इशु रेट के संबंध में कुछ नहीं है ।

5. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षण कोषांग के पत्रांक 1851 दिनांक 6.9.89 (संलग्न) में यह प्रथम बार अंकित किया गया कि एन0आई0टी0 एवं एकरारनामा में स्पष्ट किया जाय कि विभागीय सामग्रियों पर कोई अधिक दर देय नही होगा, एकरारनामा में अंकित दर से। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राक्कलित राशि से विभागीय सामग्रियों की राशि घटाने के बाद निविदा राशि तय होता है।

6. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षण कोषांग के पत्रांक 1735 दिनांक 4.10.90 (संलग्न) के अनुसार 6/89 एवं 9/89 के पत्र को वापस लिया गया।

7. निष्कर्ष:– (i) वर्त्तमान मामला वर्ष 86–87 का है। अतः विभागीय सामग्रियों पर कटौती मंत्रिमंडल निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के ही अनुरूप है।

(ii) बी0ओ0क्यू0 में जो शर्त विभागीय सामग्रियों की कटौती के संबंध में अंकित है वहीं इसमें मूल विन्दु है। अतः समिति सभी कार्य विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकती है कि समरूप कार्रवाई सभी विभागों पर हो रही है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास संगठन, लघु सिंचाई विभाग और उर्जा विभाग के सचिवों को निदेशित किया जाता कि वे एक माह के अन्दर समिति को सूचित करें कि बी0ओर0क्यू0 में विभागिय सामग्रियों के कटौती के संबंध में क्या शर्त अंकित किया जाता है और बी0ओ0क्यू0 में दिये गये शर्त के अनुरूप कटौती होती है अथवा नहीं, ताकि यह जानकारी

प्राप्त हो सके कि सभी कार्य विभागों में समरूपता बरती जा रही है कि नहीं। जिन विभागों से ससमय सूचना प्राप्त नहीं होती है उसके लिए विभागीय सचिव उत्तरदायी होंगे और यह समिति का अवमानना होगा। इसी निदेश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–4.22

कंडिका–4.22– अधिक लागत पर कार्य का अविवेक पूर्ण निर्णयः

धनसिंगटोली जलाशय योजना के अन्तर्गत 0.35 के चेनों के बीच मिट्टी बाँध का निर्माण कार्य 3 समूहों में बाँटकर करने के लिए कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू (15/86 में) द्वारा निविदा मांगी गई। समूह–i के अन्तर्गत कार्य के लिए संवेदक ने आकलित राशि (75.33 लाख रू.) से 13.88 प्रतिशत निम्न दर पर 64.87 लाख रू0 का न्यूनतम दर उदृत किया। उसी संवेदक ने समूह iv के कार्य के लिए (आकलित राशि 84.19 लाख रू) न्यूनतम दर 71.56 लाख रू. उदृत किया जो आकलित राशि से 15 प्रतिशत कम था। दूसरे संवेदक ने समूह ii के कार्य के लिए न्यूनतम दर 65.53 लाख रू. उदृत किया जो आकलित राशि (77.09 लाख रू0) से 15 प्रतिशत कम था।

बिहार राज्य मंत्री मंडल सचिवालय के संकल्प दिनांक 6.7.86 के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की स्थिति में कार्य सौंपने के निर्णय में बिहार राज्य निर्माण निगम को प्राथमिकता देय हीं था और कार्य न्यूनतम निविदादाता को सौपना था। परन्तु इसके विरूद्ध अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता ने बिना कोई कारण बताए न्यूनतम दर वाले निविदादाताओं के प्रस्ताव को नजर अन्दाज कर दिया एवं तीनों समूहों में आकलित राशि से 3.5 प्रतिशत से लेकर 4.8 प्रतिशत तक अधिक राशि पर बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य सौंपा। कार्यपालक अभियंता, बुण्डू ने भी निगम के कार्य को संतोषप्रद नहीं बताया था, इस प्रकार बाँध निर्माण कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को सौपने के अविवेक पूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 45.03 लाख रू0 (246.99–201.96) का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। यद्यपि, जल निस्सरण प्रमंडल, खूँटी (बुन्डू से

कार्य स्थानान्तरित होने के बाद कार्यान्वयन प्रमंडल) ने बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड को 287.19 लाख रूपये (मई 1989 से नवम्बर 1991 के दौरान) भुगतान किया। जुलाई 1993 तक 10 प्रतिशत कार्य, पूरा होना बाकी था।

इस प्रकार मिट्टी बांध निर्माण कार्य बि.रा.नि.नि. को सौंपने का अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 45.03 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त लागत का व्यय हुआ।

मामला सरकार को सन्दर्भित किया गया था, जबाब अप्राप्त है (जुलाई 1994)।

विभागीय स्पष्टीकरणः

यह आपत्ति अधिक लागत पर कार्य का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के फलस्वरूप धनसिंह टोली जलाशय योजना पर 45.03 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त लागत का व्यय होने से संबंधित है। आपत्ति यह है कि बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य सौंपने का निर्णय बिहार राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय संकल्प दिनांक 6, जुलाई'86, के प्रतिकूल था । इस संबंध में मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसपर अभियंता प्रमुख का भी मंतव्य प्राप्त किया गया।

मुख्य अभियंता से प्राप्त पत्रांक 1375, दिनांक 13.11.96, के द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य आवंटित करने का निम्नांकित आधार दिया गयाः–

1. विभागीयपत्रांक 534, दिनांक 27.1.86

2. कार्य की स्वीकृति की संसूचना अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सिंचाई विभाग का पत्रांक–86, दिनांक 6.6.87.

3. कार्य आवंटित किये जाने तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) का संसकल्प 948, दिनांक 16.7.86, का अप्राप्त रहना

4. निर्माण निगम को इस तरह का आश्रय देने के बात संकल्प सत्य।

948, दिनांक 16.7.86 में भी निहित है ।

चूँकि, कार्य आवंटन में विभागीय पत्र के आलोक में कार्रवाई की गई है जिसकसी वीकृति अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव की ओर से संसूचित है, अतः आपत्ति विलोपित करने का पर्याप्त कारण प्रतीत होता है।

जहाँ तक बिहार राज्य निर्माण निगम को न्यूनतम निविदत्त दर से अधिक पर कार्य आवंटित करने का प्रश्न है, जिस समय यह कार्य निगम को आवंटित किया गया उस समय न्यूनतम निविदत्त दर से 5 प्रतिशत अधिक दर तक निगम द्वारा कार्य काने की बात सरकार द्वारा अनुमोदित थी। बिहार राज्य निर्माण निगम को शून्य से पॉच चेन के बीच का कार्य में 3.5 प्रतिशत अधिक दर पर बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित किया गया था तथा दूसरा एवं तीसरा कार्य 4.8प्रतिशत अधिक दर पर दिया गया था। अभियंता प्रमुख (द0) ने भी उल्लिखित आपत्ति को विलोपित करने की अनुशंसा की है।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर से समिति संतुष्ट है। समिति अब इसे आगे बढाना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का कंडिका–5.5

5.5 भंडार की कमी:

तिरहुत नहर प्रमंडल–1, मुजफ़फरपुर के दो कनीय अभियंताओं ("क" एवं "ख") के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनको दो कनीय अभियंताओं को क्रमशः 16 अगस्त 1990 एवं 3 अक्टूबर 1991 को उनके द्वारा प्रभारित भंडार में पड़े सामग्रियों का प्रभार दिये बिना विरमित कर दिया गया । उनके विरमित होने के बाद कार्यपालक अभियंता द्वारा नवम्बर 1992 में निर्गत आदेशानुसार

भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया जिससे 8.01 लाख रूपये (3.33 लाख रूपये और 4.88 लाख रूपये) मूल्य के सामग्रियों की कमी का पता चला। न तो कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी और न उनके विरूद्ध हानि के लिए कोई विभागीय कार्रवाई की गयी थी। और न जून 1993 तक जिम्मेदार कर्मचारियों से 8.01 लाख रूप्ये की हानि प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई की गयी थी।

8.01 लाख रूपये मूल्य के सामग्री की हानि सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1993) जबाब प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 1994)।

विभागीय स्पष्टीकरण:

तिरहुत नहर प्रमंडल–1, मुजफ्फरपुर के दो कनीय अभियंता श्री गिरिजा नन्दन ठाकुर एवं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह के भंडार में क्रमशः 4.68 लाख एवं 3.33 लाख के सामग्रियों की कमी पाई गई ।

2. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, नगरउतारी में पदस्थापित थे अतएव संबंधित मुख्य अभियंता ग्रामीण विशेष संगठन, राँची को इनसे 3.33 लाख रूप्ये की वसूली यथोचित मासिक किस्तों में करने का अनुरोध मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 840 दिनांक 24.3.99 द्वारा की जा चुकी है ।

3. श्री गिरीजानन्दन सिंह, कनीय अभियंता, से विभागीय पत्रांक 924 दिनांक 1.4.2000 के निदेशानुसार माह जुलाई 2000 से 6800/– प्रतिमाह के दर से वसूली की जा रही थी । परन्तु श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिता सी0डबलू0जे0सी0 9934/2000 में दिनांक 22.6.2001 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में वसूली जुलाई 2001 से आरोपित पदाधिकारी को अपने कथन रखने का एक मौका देने हेतु बन्द कर दिया गया है ।

4. परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट दिये जाने के आलोक में कार्रवाई की जा रही है ।

5. अतः विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गई ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय कार्रवाई से समिति संतुष्ट है। विभाग द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के आधार पर समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है।

कंडिका– 5.6– परिहार्य व्यय:

बाढ़ के कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बोल्डरों तथा फिल्टर सामग्रियों की कोशी तटबंध के विभिन्न कार्य स्थलों पर, स्थल पर लागू दरों की तालिका से 5 प्रतिशत अधिक पर आपूर्ति के लिए कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित (फरवरी 1989) किया गया। इस प्रकार, अलग–अलग स्थल पर दरों का निर्धारण संबंधित अधीक्षण अभियंता को करना था। अधीक्षण अभियंता, कोशी तटबंध अंचल, सहरसा ने 78.30 कि. मी. और 83 से 84 कि.मी. स्थल पर रेल द्वारा बोल्डरो की आपूर्ति के लिए क्रमश: 1265.65 रूपये एवं 1284.60 रूपये प्रति सौ घन फीट का औपबंधिक दरों को निर्धारित (1989) किया, इसके बाद 2 औपबंधिक अुबन्ध (134/9–90 एवं 144/89–90) हुआ, तदन्तर 1399.65 रूपये और 1426.15 रूपये प्रति सौ घन फीट के दर का अंतिम निर्णय हुआ। रेलवे वैगन के अनुपलब्धता के कारण अधीक्षण अभियंता ने 78.30 कि.मी. एवं 83 से 84 कि.मी. स्थल परक्रमश: सडक द्वारा बोल्डरों की आपूर्ति का दर 1322.70 रूपये और 1331.28 रूपये प्रति सौ घन फीट, आपूर्ति कर्ता को सूचित किया (अगस्त 1990)।

ऐसा पता चला कि 30.02 लाख रूपये के कुल लागत पर रेल द्वारा 78.3 कि.मी. स्थल पर 84,928.39 घन फीट बोल्डर एवं 83 से 84 कि.मी. स्थल पर 1,17,154.737 घन फीट बोल्डर प्राप्त किया गया था। यदि सड़क द्वारा कुल 2.02 लाख घन फीट बोल्डर प्राप्त किया गया होता तो मात्र 28.16 लाख रूपये ही कुल लागत लगता। इस प्रकार सडक के माध्यम के बदले रेल से बोल्डरों की प्राप्ति से 1.86 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ। विभाग द्वारा बोल्डरों की ढुलाई का सस्ता माध्यम नहीं व्यवहृत करने का कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था।

मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया गया था (फरवरी 1994); जबाब नही प्राप्त हुआ है (जुलाई 1994) ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

उपर्युक्त कंडिका में बोल्डर ढुलाई हेतु रेल मार्ग से दो तरह के दर एवं सडक मार्ग से एक अलग दर का उल्लेख है। माप--पुस्त एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर संलग्न विवरणी से स्प्ष्ट है कि आपूर्तिकर्त्ता (बिहार राज्य निगम) को उपर वर्णित तीन दरों में से न्यूनतम दर यानि तटबंध के कि.मी. 78.30 पर रू0 1265.65 प्रति घनमीटर एवं कि0मी0 83 से 84 पर रू0 1284.60 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार कोई परिहार्य व्यय नहीं हुआ है।

अतएव उपर्युक्त कंडिका विलोपित करने का अनुरोध है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से समिति संतुष्ट है । इस कंडिका को निष्पादित किया जाता है ।

कंडिका 5.7– सिमेंट की हानि

कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल भोरे, गोपालगंज ने पुलिया ,सी.डी.वर्क्स, स्थायी निकास, अधिनिकास इत्यादि (गंडक फेज II) के निर्माण के लिए सिमेंट कारपोरेशन ऑफ इन्डिया से 9736 बोरे सिमेंट (अक्टूबर 88 और अप्रील 89 के बीच) प्राप्त किया । उनमें से 5545 बोरे सिमेंट दिसम्बर 1988 से जून 1991 के दौरान कार्य में उपयोग किया गया, और शेष 4191 बोरे (209.50 एम टी.) 2.62 लाख रूपये मूल्य का भंडार में मार्च 1994 तक अप्रयुक्त हो गये थे । कार्यपालक अभियंता ने कहा कि (अप्रील 1994) सिमेंट गंडक फेज II के कार्यो में प्रयुक्त नहीं किया जा सका, क्योंकि निधि का पावधान जून 1991 के बाद नहीं किया गया। जमे हुए सिमेंट पर 2.62 लाख रूपये की हानि के लिए अप्रील 1994 तक भी जॉच पडताल नहीं किया गया था।

मामला राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था (जनवरी 1994), जबाब नहीं प्राप्त हुआ है (जुलाई 1994)।

विभागीय स्पष्टीकरण:

कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल योजना, भोरे (गोपालगंज) द्वारा कुल 9736 बोरे सीमेन्ट की आपूर्ति (अक्टूबर 88 से अप्रील 89) की गई थी। कुल आपूर्ति सीमेन्ट में से 5545 बोरे सीमेन्ट का उपयोग (दिसम्बर 88 से जून 89 तक) कार्य में किया गया। शेष 4191 बोरे सीमेन्ट का उपयोग गंडक फेज II के कार्यान्वयन के निधि के अभाव में नही हो पाया ।

(1) प्रमंडल का नाम – सारण नहर प्रमंडल, गंडक योजना भोरे (गोपालगंज)

(2) सीमेन्ट की आपूरित मात्रा – 9736 बोरे

(3) कार्य में व्यबहुत मात्रा – 5545 बोरे

(4) निधि के अभाव में अव्यवहुत मात्रा – 4191 बोरे ।

विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पत्रांक –745 दिनांक 26. 4.2001 (प्रति संलग्न) में निहित आदेशानुसार , सेट सीमेन्ट की बोरियों का उपयोग बोल्डर के रूप में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो में करने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है । बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु बोल्डर क्रय में जो अलग से राशि व्यय होती, उसकी बचत हुई है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

भविष्य में विभाग ध्यान रखकर आवश्यकता अनुसार क्रय करें, इस निदेश के साथ समिति इसे आगे नहीं बडाना चाहती है।

रामदेव वर्मा
6.3.2002.

पटना :-

तिथि 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा

सभापति

लोक लेखा समिति

बिहार विधान-सभा, पटना ।

परिशिष्ट

पत्रांक 19/नि०1-07 (भाग 1/96 1339)

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख (उत्तर)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार
पटना दिनांक 18.8.2000

विषय :- मेसर्स सुखदेव सिंह, ग्राम+पोस्ट - शाखा, जिला-पूर्णिया से 2,33,887, 34 (दो सौ तैंतीस हजार आठ सौ सत्तासी रु० पैंतीस पै० की वसूली के संबंध में।

प्रेषक :- आयका पत्रांक 2210 दिनांक 11/3/2000

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स प्रा० सि०, पो०-वथनाहा, जिला अररिया द्वारा मुसहरा बड़ाड के निर्माण हेतु निविदा भरा गया था, जो इस कार्यालय के पत्रांक 1137 दिनांक 25.7.2000 से हेतु कर दिया गया है।

अतः आप पूरी छानबीन के बाद मेसर्स सुखदेव सिंह से विषयदिस राशि की कटौती उनके द्वारा जमानत Earnest Money से कर ली जाए उसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

अभ्य पत्रांक की राशि अलग-अलग बतलायी जाय ताकि कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-

अभियंता प्रमुख उत्तर)
जल-संसाधन विभाग,
बिहार पटना

बिहार, सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं० 22/नि० सि० पू० (1-1013/94, 497/ पटना, दिनांक 30/5/1997 ई०)

आदेश

श्री जगत कुमार लाहिड़ी, तत्कालीन रोकड़पाल, रूपांकण प्रमंडल संख्या-2, पूर्णिया सम्प्रति मुनिस्पल के कोषागार पूर्णिया से भविष्य निधि मद में खलपूर्ण निकासी के मामले में मुख्य अभियंता, पूर्णिया के पत्रांक 2318 दिनांक 17.9.92 द्वारा निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। जाँच पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। उनके द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालय, पटना में रिट याचिका सं० 10989/95 दायर किया गया। इसमें दिनांक 8.5.96 के न्याय निर्णय पारित हुआ, परन्तु आदेश की प्रति दिनांक 5.6.96 को प्राप्त हुई अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उन्हें दिनांक 5.8.96 से निलम्बन से मुक्त दिया जाता है।

जाँच प्रतिवेदन समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कोषागार से टी. वी. नम्बर नहीं लाने एवं टी. वी. नम्बर प्राप्त नहीं लेने पर उच्चाधिकारी को सूचित नहीं करने के दोषी पाये गये। इससे उनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने का भी दोष प्रमाणित होता है। अतः उक्त प्रमाण्ति आरोपों के लिए श्री लोहिड़ी को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है:-

दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर असंचात्मक प्रभाव से रोक।

दिनांक 5.96 से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त हेतु कुछ देय नहीं होगा लेकिन इसकी गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

वे अपना योगदान मुख्यालय सिंचाई भवन में देंगे।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1673 /पटना, दिनांक 31/5/ 1997 ई०

प्रतिलिपि अभियंता, प्रमुख एस. वा. रामलाल, संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/श्री स्वर्णादित्य सहाय, सरकार के अवर सचिव/मुख्य अभियंता, जल संसाधन पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, रुपांकण प्रमंडल-1, 2, 3, पूर्णिया/श्री जगत कुमार लाहिड़ी, रोकड़पाल निलम्बित द्वारा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रुपांकण, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-3,4 एवं 22.

2. श्री स्वर्णादित्य सहाय, सरकार के अवर सचिव से अनुरोध है कि वे उनका स्थानान्तरण औरंगाबाद या डालटेनगंज मुख्य अभियंता के अधीन करें।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव

बिहार, सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं० 22/नि० सि० पू०(1-1013/24, 490/पटना, दिनांक 26/5/1997 ई०)

<u>आदेश</u>

श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन रोकड़पाल, रुपकंण संख्या-1, पूर्णियाँ (सम्प्रति निलम्बित) को कोषागार पूर्णिया से भविष्य निधमद मे रुलपूर्ण, निकारों के मामले मे मुख्य अभियन्ता, पूर्णिया मे पटने-2318 दिनांक 17/9/92 कर निलम्बित किया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यकारी प्रारम्भ की गई। जांच पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। उनके द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायलय, पटना में रिट याचिका संख्या-10982/95 दायर किया गया। इसमें दिनांक 8/5/96 को न्याय निर्णय पारित हुआ, परन्तु आदेश की पति दिनांक 5/3/96 को प्राप्त हुई। अतः माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के असोष में उन्हें दिनांक 5/8/96 से निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

जाँच प्रतिवेदन के स्टोनो परम्प यह पाया गया कि कोषागार से टी० भी० नम्बर नहीं लाने एंव टी० भी० नम्ब्र प्राप्त नहीं होने पर उच्चधिकारियों को सुचित नहीं करने के दोषी पाये गये। इससे उनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने का भी दोष प्रमाणित होता है। अतः उक्त प्रमाणित आरोपो के लिए श्री कुमार के निम्नलिखत दंड सूचित किया जाता है :-

(1) वो जोखिम वेतनसम्बनधि के पर उत्तरांचल प्रमुख : होय।

(2) दिनांक 5/8/96 से कर से मुक्त किया जाता है। निल्म्बन अविध में निलम्बन भत्त में अतिरिक्त कुछ भी नही होगा साबित इसी गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ को जायेगे।

वे अपने योजना मुख्यालय, सिंचाई भवन में देंगे।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1674 दिनांक 30/5/ 2000

प्रतिलिप - अभियंता प्रमुख (श्री एस० बी० राम) जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ श्री स्वर्णादित्य सहाय, सरकार के अवर सचिव/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ/ कार्यपाल अभियंता, रुपात्रण प्रम्डल 1, 2, 3 पूर्णियाँ/ श्री सुरेन्द्र कुमार रोकड़पाल (लेखा लिगित) (निलम्बित) द्वारा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रुपेक्षण पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-2, 4, एवं 22 कं सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) श्री स्वणादित्य समय, रखार के अवर सचिव से अनुरोध है कि उनका स्थानान्तरण औरंगबाद या डालटेनगंज मुख्य अभियंता के अधीन करने का कष्ट करें।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव।

बिहार, सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं० 22/नि० सि० पू०(1-1013/94, 186/पटना, दिनांक 23/1/1998 ई०)

आदेश

श्री देवेन्द्र कुमार सचिवालय, तत्कालीन अनुरेखक, रूपांकण प्रमंडल सं०1, पूर्णिया के जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 801, दिनांक 7.6.91 के आलोक में अधीक्षण अभियंता रुपांचल अंचल, पूर्णिया के आदेश सं०-202 दिनांक 7.6.91 द्वारा निलम्बित किया गया, क्योंकि जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 801 दिनांक 7.6.91 के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 4.6.91 को कोषागार पूर्णियाँ के भविष्य निधि मद से अग्रिम की राशि कुल 89,600/ रुपये की जाली विपत्र बनाकर छलपूर्ण तरीके से अपना नाम श्री महेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव बताकर निकासी की गयी। कोषागार पदाधिकारी पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 5. 6. 91 को जाना विपत्र बनाकर नाजायज तरीकके से धोखपड़ी कर रूपये की निकासी करने से आरोप में श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अनुरेखक के विरुद्ध खजांची हाट थाना पूर्णियाँ में धारा-420/460 भा० ब० वि० के तहत काण्ड सं० 149/91 दर्ज कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध खजांची हाट थाना काण्ड सं० 149/91 में आरोप पत्र समर्पित किया गया। फलस्वरूप श्री श्रीवास्तव दिनांक 18.3.93 से 17.9.93 तक हिरासत में रहें। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में छानबीन करने पर छलपूर्ण राशि की निकासी लगभग 33लाख रुपये पाया गया। श्री श्रीवास्तव को निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, पूर्णिया का कार्यालय निर्धारित किया गया। विभागीय पत्रांक 814 दिनांक 17.3.97 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कायवाही की जाँच प्रतिवेदन भेजने का निर्देश मुख्य अभियंता, पूर्णिया को दिया गया तदनुसार मुख्य अभियंता पूर्णियाँ के पत्रांक 2553 दिनांक 25.9.97 द्वारा इनके विरूद्ध चलाई गई विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

इस दरम्यान मुख्य अभियंता, पूर्णिया के पत्रांक 2919 दिनांक 18.12.97 द्वारा सूचित किया गया कि श्री श्रीवास्तव द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी. डब्लू. जे. सा. 3219/96 दायर किया गया। इस मामले में दिनांक 20.8.97 को न्याय निर्णय पारित किया गया है। माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, पूर्णियाँ के आदेश सं० 509 दिनांक 18.11.97 द्वारा इन्हें निलम्बन से मुक्त किया गया। पूर्णिया कोषागार से 33 लाख रूपये की छलपूर्ण निकासी में श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव अनुरेखा का प्रमुख भूमिका, प्राधिकृत मैसेन्जर नहीं रखते हुए और इनके द्वारा कोषागार के जाली विपत्र पारित कराकर राशि का निकासी बैंक से किये जाने, दिनांक 5.6.91 को स्टेट बैंक पूर्णिया कैश भुगतान काउन्टर पर 5,000/ रुपये छोड़कर चले गये उपरान्त कैशियर द्वारा उस रूपये को श्री श्रीवास्तव के घर पर उन्हें रूपया प्राप्त कर पाया गया आप तथ्य प्रमाणित पाये गये, जिसके लिए सरकार द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्त, अनुरेखक (नि) को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संदर्भ में विभाग गये। परन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि तक कारण पृच्छा का कोई उत्तर समर्पित नहीं किया गया। श्री श्रीवास्तव के मामले की समीक्षा पुनः की गई और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वह प्रमाणित पाया कि पूर्णियाँ कोषागार से 33 लाख रूपये का छलपूर्ण निकासी में इनका प्रमुख भूमिका रखा है। ये प्राधिकृत मैसंन्जर नहीं रहते हुए भी कोषागार से जाली विपत्र पारित करवाकर राशि की निकासी बैंक से किया करते थे। दिनांक 3.6.91 को स्टेट बैंक पूर्णिया के काउन्टर पर 5,000/- रुपये छोड़कर चले गये तो उक्त बैंक के कैशियर ने उस रूपये को इनके घर जाकर प्राप्त कराया न उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अनुरेखक को सेवा से बर्खास्त डिसमिस किया जाता है।

तदनुसार वह आदेश आ देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (नि) को संसूचित किया जाता है।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 363 /पटना, दिनांक- 23/1/1998 ई०

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ अवर सचिव, प्रभारी क्षेत्रीय स्थापना/ उपसचिव/ श्री आजाद/ अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, पूर्णियाँ/ पूर्णियाँ प्रशाखा पदाधिकारी 3,4 एवं 22 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव

बिहार, सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू०)1-1013/94, 652/पटना,दिनांक 22 अप्रील, 1998

आदेश

श्री ललन प्रसाद वर्मा, पत्राचार लिपिक द्वारा रूपांकण अंचल, पूर्णियाँ के पदस्थापन अवधि में भविष्य निधि मद से कोषागार, पूर्णियां से जाली विपत्र बनाकर 31.50 लाख रूपये को छलपूर्ण निकासी में सहभागिता के लिए इनके विरूद्ध के० हाट थाना काण्ड संख्या-149/91 दर्ज की गई जिसके लिए अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, पूर्णिया के ज्ञापांक-258 दिनांक 14.5.93 द्वारा गिरफ्तार करने की तिथि 30-4-93 से निलम्बित किये गये। तत्पश्चात् इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। मुख्य अभियंता, पूर्णियां के पत्रांक-2845 दिनांक 5-12-97 द्वारा इनके विरूद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई। भलिभांति समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गई :-

महालेखकार, बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट अंकित है कि अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, पूर्णिया का वह पत्राचार लिपिक जो सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का आदेश निर्गत करता था, छलपूर्ण निकासी में वह संलग्न हो सकता है। चूँकि ये रोकड़पाल के कार्य पर प्रतिनियुक्त थे और इनको कोषागार और बैंक से भुगतान प्राप्त करने प्रक्रिया का पर्याप्त अनुभव था। अतः छलपूर्ण निकासी में इनकी सहभागिता रही है।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में उनसे विभागीय पत्रांक 416 दिनांक-28.1-98 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। इनसे वित्तीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें प्रो वर्मा, पत्राचार लिपिक (नि०) का कहना है कि जिस पत्राचार लिपिक के संबंध में महालेखाकार द्वारा अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में जिक्र किया गया है, वह पत्राचार लिपिक वे नहीं है। श्री वर्मा का यह भी कहना है कि छलपूर्ण निकासी से संबंधित मामला अभी भी सी०जी०एम०, पूर्णियां के न्यायलय में लम्बित है और इनके विरूद्ध कोई अभियोग पत्र दाखिल नहीं

किया गया है। आवेदक का वह कहना है कि विभागीय जांच एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के पास लम्बित मुकदमा दोनों एक ही तथ्य पर आधारित है और दोनों ही कार्यवाही में इनके विरूद्ध न तो साक्ष्य है और न ही कोई प्रमाण है, मान्य नहीं है क्योंकि ये रोकड़पाल का कार्य करते थे और इन्हे कोषागार कार्य का अनुभव था। अतएव छलपूर्ण निकासी में इनकी सहभागिता रहा है। फौजदारी मुकदमा एवं विभागीय कार्यवाही दोनों हो साथ-साथ चलाया जा सकता है।

श्री वर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई। समीक्षोपरांत निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गयेः-

(I) महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट अंकित है कि अधीक्षण अभियंता, रूपांक्षण अंचल, पूर्णिया का वह पत्राचार लिपिक जो सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का आदेश निर्गत करता था, छलपूर्ण निकासी मे वह संलग्न हो सकता है। चूँकि ये रोकड़पाल के कार्य पर प्रतिनियुक्त थे और इनकी कोषागार और बैंक से भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्याप्त अनुभव था। अतः भविष्य निधि मद से 31.50 लाख रूपये को छलपूर्ण निकासी में इनको सहभागिता रहा है।

उपरोक्त प्रमाणित के लिए सरकार द्वारा इन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्न लिखित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया हैः-

(I) वेतनमान् के न्यूनतम प्रक्रम पर रखे जाते हैं।

(II) निलम्बन अवधि निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा लेकिन पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

अतः श्री ललन प्रसाद वर्मा, पत्राचार लिपिक(निलम्बित) को निलम्बन से मुक्त करते हुए उपर्युक्त दंड सूचित किया जाता है।

(बी0 बी0 पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग

बिहार, सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू०)1-1013/94, 496/पटना, दिनांक 30/4, 1997)

आदेश

श्री चन्द्रचूड़ नारायण सिंह, तत्कालीन रोकड़पाल, रूपांकण प्रमंडल संख्या-2, पूर्णियाँ सम्प्रति निलम्बित की कोषागार पूर्णियाँ से भविष्य निधि मद में छलपूर्ण निकासी के मामले में मुख्य अभियंता, पूर्णिया के पत्रांक 2318 दिनांक 17.9.92 द्वारा निलम्बित किया गया। उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय। जाँच पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। उनके द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायलय, पटना में रिट याचिका दिन 1098/95 दायर किया गया। इसमें दिनांक 8.5.96 को न्याय निर्णय पारित हुआ, परन्तु आदेश सम्प्रति दिनांक 5.6.96 को प्राप्त हुई। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उन्हें दिनांक 5.8.96 से निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कोषागार से टी.वी नम्बर नहीं लाने एवं टी. भी. नम्बर प्राप्त नहीं होने पर उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं करने के दोषी पाये गये। इससे उनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने का भी दोष प्रमाणित होता है। अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए भी श्री सिंह को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है।

(I) दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(II) दिनांक 5.8.96 से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता से अतिरिक्त छूट भी यहाँ देय होगा लेकिन इसकी गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

वे अपना योगदान मुख्यालय, सिचाई भवन में देंगे।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1672 /पटना, दिनांक- 30/5/1997

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख श्री एस. वी. राम, जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग/श्री स्वर्णादित्य सहाय, सरकार के अवर सचिव/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया/केन्द्रीय संसाधन, पटना/ अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, पूर्णिया नहर अंचल, पूर्णिया/ कार्यपालक अभियंता , रूपाकंण प्रमंडल-1, 2,3 पूर्णिया श्री चन्द्रचूड़ नारायण सिंह, रोकड़पाल निलंबित द्वारा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, पटना/प्रशाखा पदा० 3, 4 एवं 22 को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री स्वर्णादित्य सहाय, सरकार के अवर सचिव से अनुरोध है कि वे उनका स्थानांतरण औरंगाबाद या डालटेनगंज मुख्य अभियंता के अधीन करें।

बी. बी. पाण्डेय
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या- को० प्र०/मु०-28 / 2000 / 6138 / वि०

बिहार सरकार

<u>*वित्त विभाग*</u>

पटना, दिनांक - 13.9.2001

प्रेषक,

श्री लक्ष्मी नारायण भक्त,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- पूर्णिया कोषागार के श्री राम नन्दन प्रसाद सिन्हा एवं श्री विनोद बिहारी शरण से संबंधित मामले की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु० - यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

(लक्ष्मी नारायण भक्त)
सरकार के अवर सचिव, वित्त विभाग

पूर्णियाँ कोषागार में भविष्य निधि अग्रिमों की छलपूर्ण निकासी की स्थिति

वर्ष 1990 एवं 1991 में रूपांकण प्रमंडल सं०- 1, 2 एवं 3 के कर्मियों के भविष्य निधि अग्रिमों की छलपूर्ण निकासी हुई। इस निकासी में तत्कालीन प्रधान सहायक (लेखापाल) श्री रामनन्दन प्रसाद सिंह एवं प्रधान सहायक-सह-लेखापाल श्री विनोद बिहारी शरण को उक्त छलपूर्ण निकासी में, कोषागार संहिता में वर्णित निदेशों/ अनुदेशों की अनदेखी/ अनुपालन नहीं कर, गलत मैसेन्जर की सहायता ली।

इस मामले की जाँचोपरान्त (1) श्री सिन्हा एवं (1) श्री शरण के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:-

(1) श्री रामनन्दन प्रसाद सिन्हा :- प्रधान सहायक-सह-लेखापाल श्री सिन्हा द्वारा प्रशाखा प्रधान होने के नाते विपत्रों की सम्पूर्ण छान-बीन नहीं की गई ना ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को ही दी गई। इस मामले के जाँचोपरान्त, इन्हें दोषी पाया गया। जाँच पूरा होने के पूर्व ही ये सेवा निवृत्त हो गए। छलपूर्ण निकासी में इनकी सहभागिता सिद्ध होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अनुसार कार्रवाई कर इनके आधे पेंशन की कटौती का आदेश दिया गया। .

माननीय उच्च न्यायालय में इनके द्वारा दायर रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

(II) श्री विनोद बिहारी शरण- प्रधान सहायक-सह-लेखापाल श्री शरण भी उक्त भविष्य निधि अग्रिमों की छलपूर्ण निकासी में दोषी पाए गए। इस कार्य के लिए इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। इनके द्वारा दायर सी० डब्लू० जे० सं०- 7286 वर्ष 1994 पर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार कार्रवाई की गई विभागीय कार्यवाही चलाते हुए इनके संबंध में जाँच कर, पूर्व के विभागीय आदेश को यथावत् रखा गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध पुनः सी० डब्लू० जे० सी० सं०- 3158/2000 दायर किया गया, जिसके संबंध में तथ्य विवरणी शपथ-पत्र दायर करने (हेतु) समर्पित की जा चुकी है। माननीय न्यायालय का इस संबंध में कोई निर्णय/निदेश नहीं हुआ है।

बिहार, सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू०)110-103/94, 302/पटना,दिनांक 16/3/2001

आदेश

श्री कपिलदेव सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवा निवृत के वर्ष 85-89 में पुनासी स्पीलेज प्रमंडल पुनासी, देवघर/पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या- 2891 दिनांक 1.12.92 द्वारा इनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस बीच श्री सिन्हा दिनांक 31.1.2000 को सेवा निवृत हो गये। अतः सरकार से विभागीय आदेश संख्या 64 दिनांक 3.3.2000 द्वारा बिहार पेंशन नियमावाली के नियम 43 बी के तहत विभागीय कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही की जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये। फलस्वरूप सरकार ने श्री सिन्हा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया:-

1- बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत 100% पेंशन पर सदा के लिए सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पंत्राक 645 दिनांक 8.5.2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

क- पुनासी मुख्य नहर के चेन सं० 805 से 806.5 एवं 807.5 से 810 में नहर खुदाई में मिट्टी वर्गीकरण पर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के अभाव में भी कार्य कराया एवं डिसपोजल स्थान की स्वीकृत प्राप्त करने हेतु विभागीय पदाधिकारियों को प्रभावित नहीं करना एवं सामान्य संवेदक की तरह व्यवहार करना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री सिन्हा को निम्न दण्ड

देने का निर्णय लिया है:-

1- बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत 50% पेंशन पर एक वर्ष तक रोक। अतः उपर्युक्त दण्ड श्री सिन्हा, कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

(बी. एन. झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 552 पटना, दिनांक- 16-3-2000/

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, उप सचिव प्रबंधन कोषांग/ कम्प्यूटर कोषांग/ मुख्य अभियंता, देवघर, प्रशाखा 5, 6, 7, एवं 22 तथा श्री कपिलदेव सिन्हा, सेवा निवृत अ. अ. समुचित कॉपरेटिव कालोनी ने 134 कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी. एन. झा

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(देव)110-105/94, 299/पटना,दिनांक 16/3/2001

आदेश

श्री उमेश चन्द्र झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवा निवृत के वर्ष 85 89 में पुनासी स्वीमले प्रमंडल पुनासी, देवघर/ सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार से स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2856 दिनांक 1.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल रेखा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी! इस बीच श्री झा दिनांक 31.01.2000 को सेवा निवृत हो गये। अतः सरकार ने विभागीय आदेश संख्या-63 दिनांक 3.3.2000 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत विभागीय कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही की जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत श्री झा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये। फलस्वरूप सरकार ने श्री झा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया:-

बिहार पेंशन नियामावली के नियम 43 बी के तहत 100% पेंशन पर सदा के लिए रोक। सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 644 दिनांक 8.5.2000 इतने वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। वित्तीय कारण पृच्छा का उत्तर की समीक्षा पुनः सरकार के इस स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री झा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

क- पुनासी स्पीलने ओभरबर्डेन में सॉफ्ट रॉक विथ कास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का सेवा संधारण नहीं करना।

ख- पुनासी मुख्य नहर के चेन सं० 805 से 806.5 एवं 807.5 से 810 में मिट्टी वर्गीकरण के स्वीकृति के अभाव में भी कार्य कराना एवं विभागीय पदाधिकारियों को प्रभावित नहीं करना तथा सामान्य संवेदक के तरह व्यवहार करना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री झा को निम्न दण्ड देने

का निर्णय लिया

"बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत 50% पेंशन पर एक वर्ष तक रोक"

(बी. एन. झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-549 पटना, दिनांक - 16-3-2001

प्रतिलिपि महालेखाकर, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, उप सचिव प्रबंधन कोषांग / मुख्य अभियंता, देवघर, प्रभासी - 5, 6, 7 एवं 22 तथा श्री उमेश चन्द्र झा, सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता ग्राम-परमानन्दपुर पो० - सिमरीया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

बी. एन. झा

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि० (110-103/94, 296/पटना, दिनांक 15/3/2001)

<u>आदेश</u>

श्री एस. एस. विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के वर्ष 85-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी, देवघर/ पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या -2868 दिनांक- 1..12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा कर के स्तर पर की गयी। इस बीच श्री एस. एस. विश्वास की दिनांक 14.8.3000 को मृत्यु हो गयी।

अतः तकनीकी आधार पर मामला समाप्त करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

(बी. एन. झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-539 पटना, दिनांक-15.3.2001

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव/उपसचिव/अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी से, प्रशाखा-5, 6, 7 एवं 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी. एन. झा)

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि० (110-103/94, 295/ पटना,दिनांक 15/3/2001)

आदेश

श्री नारायण, ओझा, तत्कालीन सहायक अभियंता के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी, देवघर/ पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2868 दिनांक 1.12.92 द्वारा इनके विरूद्ध सिविल सेवा विभागीय कार्यवाही की समीक्षापरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री ओझा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लियाः-

सेवा से बरखास्त।

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 401 दिनांक 4.3.2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त वित्तीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर परर की गयी। समीक्षोपरांत श्री ओझा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

" पुनासी स्पीलवे ओभरबर्डेन से सार्पेफ्ट रॉक विथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का सेवा ओझा का सूचित संधारण नहीं करना।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री ओझा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अतः उपरोक्त दण्ड श्री ओझा को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-542, पटना, दिनांक- 15-3-2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/वित्त वयंक्तिव द्वारा निर्धारण कोषांग विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ औरंगाबाद/ संयुक्त सचिव/ उपसचिव, अवर सचिव प्रबंधन कोषांग/ कम्प्युटर कोषांग/ प्रशाखा- 7, 8, 9, 10 एवं 22 तथा श्री नारायण ओझा, सहायक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर हंसा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू०)110-103/94, 294/ पटना,दिनांक 15/3/2001

आदेश

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी, देवघर/पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2857 दिनांक 1.12.92 द्वारा इनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री सिंह को निम्न दण्ड देने की निर्णय लिया:-

(क) सेवा से बर्खास्त

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 408 दिनांक 11. 3. 2000 द्वारा उनसे वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

"पुनासी स्पीनवे ओभर वर्डन के साफ्ट रॉक बीथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का सेवा दोषी का समुचित संधारण नहीं करना।"

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री सिंह निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अतः उपरोक्त दण्ड श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 543 पटना, दिनांक- 15-3-2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ रांची/संयुक्त सचिव/उपसचिव, अवर सचिव कोषांग/ कम्प्युटर कोषांग/ प्रशाखा- 7, 8, 9, 10 एवं 22 तथा श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि० (110-103/94, 294/ पटना, दिनांक 15/3/2001)

<u>आदेश</u>

श्री केदारनाथ सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी, देवघर/ पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2867 दिनांक 1.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील सेल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय किया:-

(क) सेवा से बर्खास्त।

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 411 दिनांक 11.3.2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त वित्तीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

" पुनासी स्पीलवे ओभर वार्डेन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा की जाँच या समुचित संधारण नहीं करना।"

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री सिंह निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

अतः उपरोक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-541 पटना, दिनांक-15-3-2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/सिवान/संयुक्त/उपसचिव, अवर सचिव अभियंता कोषांग/कम्प्यूटर कोषांग/प्रशाखा- 7, 8, 9, 10, एवं 22 तथा श्री केदारनाथ सिंह, कनीय अभियंता नियंत्रण कराहा शिविर गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(देव)110-103/94, 292/ पटना, दिनांक 15/3/2001

आदेश

श्री प्रभुनाथ सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के वर्ष 1985-89 में पुनासी/देवघर/ पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापना अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि के गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2872 दिनांक 1.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही का समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलत: सरकार ने श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय किया :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 413 दिनांक 11.3.2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त वित्तीय कारणा पृच्छा की समीक्षा पुन: सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

" पुनासी स्पीलवे ओभरबर्डेन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा की जाँच या समुचित सधारण नहीं करना।"

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरका श्री सिंह निम्न दण्ड देने का निर्ण लिया है :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अत : उपरोक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-22/नि.सि. सिंह देव. 110-103/94 544 पटना, दिनांक-15-3-2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/पटना/ संयुक्त सचिव/उपसचिव/अवर सचिव प्रमुख कोषांग/कम्प्यूटर कोषांग/ प्रशाखा-7, 8, 9, 10, एवं 22 तथा श्री प्रभुनाथ सिंह, सहायक अभियंता (प्राध्यापक) भूगर्भ जल विज्ञान वाली, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि० (106-109/95, 291/ पटना, दिनांक 15/3/2001)

आदेश

श्री गोदावरी झा, तत्कालीन कनीय अभियंता के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, देवघर पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2870, दिनांक 01.12.92 द्वारा इनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री झा को निम्न दण्ड-देने का निर्णय किया :

(क) सेवा से बरखास्त

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 400 दिनांक 11.3.2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त वित्तीय कारणा पृच्छा की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

"पुनासी स्पीलवे ओभर वार्डेन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा की जाँच या समुचित सधारण नहीं करना।"

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरका श्री झा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अत : उपरोक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-548 पटना, दिनांक-15-3-2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ मुजफ्फपुर/ संयुक्त सचिव/उपसचिव, अवर सचिव संघन को मांग/ कम्प्युटर नये मांग प्रशाखा- 7, 8, 9, 10 एवं 22 तथा श्री गोदावरी झा, कनीय अभियंता योजना एवं रूपांकर प्रमंडल, एतवारा मुजफ्फपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू०)106-109/94, 290/ पटना,दिनांक 15/3/2001

आदेश

श्री बिन्देश्वर दयाल सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, देवघर पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापना अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2869, दिनांक 01.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील सेल्स के नियम 55 के तहत विभागयी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही' की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री झा को निम्न दण्ड देने काा निर्णय किया:-

(क) सेवा से बरर्खास्त

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागयी पत्रांक 414 दिनांक 11. 3. 2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त वित्तीय कारणा पृच्छा की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

"पुनासी स्पीलवे ओभर वार्डेन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का लेखा जोखा का समुचित संधारण नहीं करना।"

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरका श्री झा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अत : उपरोक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-545 पटना, दिनांक-15-3-2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/वित्त वै. दा. नि. को (विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ औरंगाबाद/ संयुक्त सचिव/उपसचिव, अवर सचिव प्रबंधन को मांग कम्प्यूटर कोषांग/ प्रशाखा- 7, 8, 9, 10 एवं 22 तथा श्री विन्देश्वर दयाल सिंह, सहायक अभियंता सोन उच्च स्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू० 110-103/94, 239 पटना, दिनांक 15/3/2001)

<u>आदेश</u>

श्री सत्य नारायण प्रसाद , तत्कालीन कनीय अभियंता, के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, देवघर पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2853, दिनांक 01.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रुल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलत: सरकार ने श्री प्रसाद को निम्न दण्ड देने का निर्णय किया :-

(क) सेवा से बरर्खास्त

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 409 दिनांक 11. 3. 2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त वित्तीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुन: सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

''पुनासी स्पीलवे ओभर वार्डेन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का लेखा जोखा का समुचित सधारण नहीं करना।''

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री झा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अत : उपरोक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-540 पटना, दिनांक-15-3-2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ भागलपुर/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव, अपर सचिव प्रबंधन को मांगा/कम्प्यूटर कोषांग/ प्रशाखा- 7, 8, 9, 10, एवं 22 तथा श्री सत्य नारायण प्रसाद, कनीय अभियंता गंगा नहर प्रमंडल, कहलगाँव, शिविर डॉका भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ सं० 22/नि०सि०(पू०110-103/94, 283 पटना, दिनांक 15/3/2001)

<u>आदेश</u>

श्री किशोरी शरण सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवा निवृत के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, देवघर पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2855, दिनांक 01.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री सिन्हा को निम्न दण्ड देने का निर्णय किया :-

(क) सेवा से बरखास्त

सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 410 दिनांक 11. 3. 2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। पुनः दि०-15.5.2000 समाचार पत्रों से माध्यम से कारण पृच्छा की मांग की गयी। किन्तु कारण पृच्छा मांग उत्तर नहीं प्राप्त हो सका फलत उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सरकार ने श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रामाणित पाये गये :-

"पुनासी स्पीलवे ओभर वार्डन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का लेखा जोखा का समुचित सधारण नहीं करना।"

इस बीच श्री सिन्हा सेवा निवृत हो गये।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री सिन्हा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी० के तहत 50% पेंशन पर

एक वर्ष तक रोक।

अतः उपर्युक्त दण्ड श्री सिन्हा को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-538 **पटना, दिनांक**-15-3-2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना, संयुक्तसचिव, उपसचिव प्रबंधन कोषांग प्रशाखा 9, 10 एवं 22 तथा श्री किशोरी शरण सिन्हा, सेवा निवृत कनीय अभियंता द्वारा अवर सचिव को श्री किशोरी कुमार सिन्हा जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ॰ सं॰ 22/नि॰सि॰(पू॰ 110-103/94, 287 पटना, दिनांक 15/3/2001)

आदेश

श्री सियाराम चौधरी , तत्कालीन सहायक अभियंता, के वर्ष 1985-89 में पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, देवघर पुनासी सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापन अवधि में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता एवं सरकारी राशि का गोलमाल की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या 2858, दिनांक 01.12.92 द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील सेल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही की समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने श्री सिन्हा को निम्न दण्ड देने का निर्णय किया:-

(क) सेवा से बरखास्त

सरकार उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 412 दिनांक 4. 3. 2000 द्वारा उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की मंत्री । समीक्षोपरांत श्री चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित किये गये।

''पुनासी स्पीलवे ओभर बार्डन के सॉफ्ट रॉक बोथ ब्लास्टिंग के वास्तविक कार्य की मात्रा का लेखा जोखा का समुचित सधारण नहीं करना।''

इस बीच श्री सिन्हा सेवा निवृत हो गये।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री सिन्हा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

अतः उपरोक्त दण्ड भी चौधरी को संसूचित किया जाता है।

बी. एन. झा
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-537   पटना, दिनांक-15-3-2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, वित्त वै, दा. नि. को. विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ डिहरी/संयुक्त सचिव/ उपसचिव, अवर सचिव प्रबंधन को मांग कम्प्युटर को मांगा/ प्रशाखा -7, 8, 9, 10 एवं 22 तथा श्री सियाराम चौधरी, सहायक अभियंता, सोन नहर आधुनिकीकरण अ० प्र० नासवन कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

बी. एन. झा

सरकार के उप सचिव

(बिहार सरकार तकनीकी परीक्षक कोषांग, मन्त्रिमंडल (निगरानी) विभाग, पत्र संख्या-1/स्था० 27/83-2347/ दिनांक 31.12.1983)

विषय :- अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति।

लोक निर्माण विभाग के पत्रांक ए2/नियम-11/77 ले०नि०-1959। दिनांक 3.10.77 एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.3.82 के क्रम में निदेशानुसार यह कहना है कि कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली, लोक निर्माण विभाग संहिता, लोक निर्माण विभाग, लेख में वर्णित नियमों के अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये आदेशों पर भी पदाधिकारियों द्वारा उनका पालन समुचित रूप से नहीं किया जाता है अथवा नियमों का अपने ढंग से गलत व्याख्या कर नियम के अनुरूप ढिलाई बरती जाती है। इसके अतिरिक्त जहां भी नियम में स्पष्ट आदेश नहीं है वहां कुछ स्थनों पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः सभी विभागों में तथा राज्य सरकार के नियमों, बोर्डो। एवं प्रखंडों के कार्यो में एकरूपता लाने एवं पदाधिकारियों के दिशा निर्देश देने हेतु अनुलग्न आदेश का कड़ाई से पालन किया जाय।

2. इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय एवं उनके द्वारा किस तिथि को आदेश की प्राप्ति हुई इसकी सूचना अभियंता प्रमुख तकनीकी परीक्षक कोषांग को दी जाय।

अनुलग्नक

अभियंत्रंण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति

6. बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 230 से 234 एवं परिशिष्ट 6 में मापी पुस्तिकाओं के निर्गम, उनकी जांच आदि का वर्णन किया गया है। परन्तु कुछ प्रमण्डलों द्वारा इन कंडिकाओं में वर्णित आदेशों का पालन नहीं होता है। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक मापी पुस्तिका को प्रत्येक वर्ष अवश्य प्रमण्डल में कार्यपालक अभियंता के पर्यवेक्षक में प्रमण्डलीय लेखाकार द्वारा जांच हेतु लौट जानी चाहिए और दो वर्षो के बाद एक मापी पुस्तिका को फिर से व्यवहार में लायी जानी चाहिए। परन्तु प्रमंडलीय लेखाकार एवं कार्यपालक

अभियंता द्वारा भी लोक निर्माण विभाग संहित की कंडिका 245 का पालन नहीं किया जाता है। इन नियमों को निम्नलिखित आदेशो के अनुसार यथास्थान संशोधित मानकर, कड़ाई से पालन किया जाय।

(क) सभी मापी पुस्तिकायें अनिवार्य रूप से कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वयं उनके पूर्ण हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे और उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं हस्ताक्षर कि तिथि लिखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक मापी पुस्तिका प्रमण्डल में प्रत्येक वर्ष नवम्बर मास में आवश्यक वापिस होनी चाहिए चाहे उनके पृष्ठ रिक्त क्यों न हो कनीय अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से मापी पुस्तिकायें प्रमण्डल में भेजेंगे नये प्रभार के बाद नये पदधारक को उनके पदाधिकारी से प्राप्त सभी पुस्तिकायें अपना पद का और (घ) के अनुसार पुन निर्गत रूप होना एवं सभी इसके द्वारा की प्रविष्ठी को मान्यता दी जायगी।

(घ) कार्यपालक अभियंता को मागी पुस्तिका के पुनर्निगत करने के लिए मागी पुस्तिका उस पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा जहां से वह पुस्तिका रिक्त है। वहां भी कार्यपालक अभियंता का पूरा नाम उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखा जायगा और निर्गत करने की एवं जिस सहायक अभियंता को पुस्तिक निर्गत की गई उनका नाम दिया करन इसी प्रकार की प्रविष्टि सहायक अभियंता द्वारा भी कनीय अभियंता को मापी पुस्तिका निर्गत करने समय करना होगा। पुनर्निगत करने की सूचना मापी पुस्तिका के प्रथम पर भी दी जायगी ओर मापी पुस्तिका निर्गत करने के संबंध में जो प्रमन्डल/अवर प्रमण्डल में रखा जायगा उसमें उसका उल्लेख किया जायगा।

(ङ) प्रत्येक कार्य की मापी माह में एक बार अवश्य ली जायगी। ली गई नई मापी की भी सहायक अभियन्ता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा निगरानी विभाग की पत्र संख्या -1 108/81-462

दिनांक 30.3.82 में निर्गत आदेश के अनुसार की जायगी लेने के 15 दिन के अन्दर कनीय अभियंता मापी पुस्तिका एवं विपत्र, सामग्री विवरण साथ सहायक अभियंता को उपस्थापित करेंगे और सहायक अभियंता अगले 15 दिनों के अन्दर मापी पुस्तिका जाचोपरान्त कार्यपालक अभियंता को उपस्थापित कर कार्यो की मापी दर्ज करना, उनकी जांच करना अथवा विपत्र बनाना लम्बित रखा जाय, चाहे किसी कारण वश इस मापी से संबंधित विपत्र के तुरन्त भुगतान कठिनाई क्यों न हो।

(च) जब तक मापी पुस्तिकायें कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर से पुनर्निर्गत नहीं की जायं उपरोक्त तिथि के बाद उनपर ली गई नापी अमान्य मानी जायगी और जो पदाधिकारी ऐसा करेंगे उनके विरूद्ध यह गम्भीर आरोप माना जायेगा। इसका उल्लेख उनकी पुस्तिका में अवश्य किया जायगा और उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही कर दण्डित करने के लिए कार्रवाई की जायगी।

(छ) सभी कामों की मापी प्रत्येक मास में दर्ज करना अनिवार्य है परन्तु विशेष परिस्थति में 2 माह पहले किये गये किसी व्यर्थ की मापी तथा कोई पदाधिकारी द्वारा ली जाय जब उसके लिए कार्यपालक अभियंता की लिखित अनुमति प्राप्त हो। ऐसी नापी पुस्तिका में दर्ज करने के पूर्व नापी लेने वाले पदाधिकारी को यह लिखना आवश्यक होगा कि उन्हें कार्यपालक अभियंता की स्वीकृति किस पत्रांक से मिली है। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा भी अपने आदेश में ऐसा अनुमति देने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

2. (क) सभी प्रकार मापी (उसमें प्रि-सेक्शन लेवल के आकड़े एवं वैसे कार्यो की मापी जिनका जांच बाद में नहीं की जा सकती है। सभी सम्मिलित है) लोक निर्माण लेखा संहिता कंडिका 231 (बी) के अनुसार मापी पुस्तिका पर ही दर्ज की जायगी।

(ख) नये कार्य करने के पूर्व प्रि-सेक्शन तथा वैसे कार्यो जिसकी मापी बाद में पूर्ण रूपेण नहीं की जा सकती है, राज्य सरकार के आदेश संख्या 1/स्वा०-108/81-462 दिनांक 30.3.82 के कंडिका (ग) एवं (घ) के अनुसार सहायक अभियंता के द्वारा 50 प्रतिशत एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा 10 प्रतिशत जांच की जायेगी अनु मापी पुस्तिका कहा जा सकता है और उस पुस्तिका को कार्यपालक अभियन्ता द्वारा लेबेल बुक की संज्ञा देकर मापी पुस्तिका के लिए उपरोक्त कंडिका में वर्णित आदेशों के अनुसार अथवा पुननिर्गत किया जायगा। इन पुस्तिकाओं को भी निर्गत अथवा पुननिर्गत करने समय कार्यपालक अभियंता उन पृष्टो को संख्या निर्गत अथवा पुननिर्गत करने की तिथि, अपना पूर्ण हस्ताक्षर एवं नाम दर्ज करेंगे और इसके लिए एक अलग रजिस्ट्रार प्रमण्डल में रहेगा। अवर प्रमण्डलों में भी इसी प्रकार के रजिस्ट्रार रखे जायेंगे। इस प्रकार से मान्यता प्राप्त मापी पुस्तिका अथवा लेबेल पुस्तिका के अलावे अन्य सादे कागज पर लिए गये लेबेल का नापी की कोई मान्यता नहीं होगी।

(ii) मापी पुस्तिका के संबंध में ऊपर जो आदेश कंडिका एक (क से छ) के दिये गये है वे इन पुस्तिकाओं एवं लेबेल बुक के लिए भी लागू होंगे।

(iii) एक प्रि-सेक्शन/लेबेल पुस्तिका एक कार्य के लिए निर्गत किया जायगा अर्थात एक प्रि-सेक्शन लेबेल पुस्तिका में एक से अधिक कार्य की मापी। लेबेल दर्ज नहीं किये जाएगें।

(iv) जब तक प्री-सेक्शन लेबेल पुस्तिका एवं लेबेल बुक छप नहीं जाती है जब तक के लिए (इन आदेश के निर्गत होने के अधिकतम तीन मास तक) कार्यपालक अभियंता पुस्तिका स्वयं बनायेंगे और उसे अपने प्रमंण्डल से उपरोक्त आदेशों के अनुसार निर्गत करेंगे।

(v) उपरोक्त पुस्तिकाओं में किसी भी कार्य के लिए मापी लेबल लेते समय उसी समय सम्बंधित मापी पुस्तिका में भी उसका जिक्र मापी लेबल लेने वाले पदाधिकारी द्वारा करना होगा और किस मापी पुस्तिका में वह जिक्र किया गया उसकी संख्या उपरोक्त मापी लेबेल के पृष्ठ पर भी लिखनी होगी। जिस दिन प्री सेक्शन अथवा लेवेल के आधार पर प्रि-सेक्शन की मापी की गणना हो जाता है उसका उल्लेख मापी पुस्तिका में किया जायगा कि किस दूरी में कितनी मात्रा प्रि-सेक्शन में आई।

3.(क) लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल के स्टाक सीमा की वृद्धि के लिए मुख्य अभियंता पूर्णत: सक्षम है। अब मुख्य अभियंता की शक्ति वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत स्टाक सीमा की राशि के ऊपर अस्थाई रूप से केवल 6 मास के लिए 100 प्रतिशत वृद्धि करने की सक्षमता रहेगी, परन्तु इसके लिए आय-व्ययक में उपबन्ध होना आवश्यक होगा। जिस प्रमण्डल के लिए स्टाक-सीमा स्वीकृत नहीं है, वहां वित विभाग की सहमति में स्टाक सीमा शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित कराई जाय।

(ख) सभी प्रमण्डल के सीधे प्रभार में कुछ ही स्थानः में स्टाक रखे जाते हैं और अधिकांश स्टाक कनीय अभियन्ताओं के प्रभार में सेक्शन में रहते हैं। अब से स्टाक सीधे प्रमण्डल में कार्यपालक अभियन्ता के अधीन एक या अधिक स्थान पर रखे जायेंगे। इसके लिए प्रमण्डल में उस प्रमण्डल के स्वीकृत सहायक अभियंता एवं अथवा एक कनीय अभियंता के प्रभार में उस प्रमण्डल के स्वीकृत स्टाक के प्रभार ने जो कनीय अभियंता रहेंगे उन्हें उस प्रमण्डल का कोई अन्य निर्माण कार्य नहीं दिया जायेगा।

(ग) निर्गत होंगे और उनका उस कार्य में आवटन के विरूद्ध एक माह के अन्दर किया जायगा।

(घ) स्टाक यंत्र एवं संयंत्र अथवा क्रय शीर्ष में क्रम करने के पूर्व कार्यपालक द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन पर मूल कार्य की सक्षमता के अनुसार

पदाधिकारी की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 257 एवं 262 के अनुसार आवश्यक होगी। सक्षम पदाधिकारी स्वीकृति देने के प्रमण्डल की स्टाक सीमा की बचत राशि अवश्य देख लेंगे।

(ङ) अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता एवं अधीनस्थ अभियंता द्वारा लोहे, बिटुमेन सामग्रियों के क्रय तथा किसी शीर्ष के अन्तर्गत क्रय करते समय वित्त विभाग संकल्प संख्या 9736 दिनांक 24.10.83 के अनुसार कार्रवाई की जायगी।

(च) किसी भी कार्य के स्वीकृत मदे के लिए कितनी सामग्रियों, यंत्र-संयंत्र आदि प्रत्येक वर्ष किये जा सकते है इसका निर्णय राज्य सरकार के आदेश 1/स्था-108/81-462 न०प०कं० दिनांक 30.3.82 एक वित्त विभाग के संख्या 9736 दिनांक 24.10.83 के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया इसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्माण सैडयूल एवं तदुनसार क्रय-सैडयूल आवश्यक होगा और इसी के अनुसार आय-व्ययक के उपबंध के अन्तर्गत सामाजिक संयंत्रों का क्रय किय जायगा ताकि ऐसे क्रय न किये जाय जिनका परियोजना में व्यवहार न हो।

4. डी०जी०एस०डी० के माध्यम से भी समायोजन के द्वारा नहीं वरन् आवंटन के पूर्ण भुगतान कर ही सामग्री का क्रय किया जाय जैसा कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 24.10.83 में आदेश है।

5. लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिल 163 में साधारणत: न्यूनतम निविदा की करने प्रावधान है और उसमें यह भी लिखी हुआ है कि किसी भी निविदकर्ता को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि निविदा का निर्णय किस आधार पर किया गया है। लोक निर्माण लेखा की कंडिक 165 तथा मुख्य सचिव के आदेश संख्या ए2 निगम-11/77 लो०नि० 19519 3.10.77 की कंडिका 15 एवं 16 पर दिये गये आदेशें के अनुसार कार्रवाई की जाय। एक से अधिक निविदाकर्ता निविदा अथवा कोटेशन जब न्यून्तम देते है तब निविदा अपना स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी अथवा जहां समिति है वहां निविदा समिति के विवेक को ध्यान में रखने हेतु व्यवहार करेंगे

(क) निर्वाचन ठेकेदारों में वैसे ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाय जो पहले से निर्बंधित और

(ख) ऐसे ठेकेदारों को जिन्होंने पूर्व में समय पर कार्य नहीं किया है अथवा जिनके कार्य संतोजनक नहीं होते अथवा जिनका आवंटित कार्य पिछड़ा हुआ हो, उन्हें प्राथमिकता न दी जाय। किसी भी ठेकेदार अथवा कोटेशनदाता को यह पूछने का अधिकार नहीं होगा कि निविदा अथवा कोटेशन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी ने अपना विवेक के आधार पर व्यवहार किया परन्तु किस आधार पर किसी ठेकेदार को कार्य आवंटित गये इसका उल्लेख निविदा कोटेशन पर निर्णय लेने वाले पदाधिकारी को तुलनात्मक विवरणी पर उल्लेख करना होगी।

6. मुख्य सचिव के आदेश संख्या निर्गत आदेश संख्या स्था०10881-462 न०प०को० दिनांक 30.03.82 ।

8. मास्टर रौल पर नियुक्ति अथवा नियुक्ति पर मुख्य सचिव परिपत्र संख्या विभाग दिनांक 22.1.84 निर्माण विभाग के परिपत्र संख्या 2 एस-10.127/75-14094 दिनांक 2.4.81 आदि और आदेश किये गये है उनका पालन कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नहीं किया जा रहा हे आदेश के अतिरिक्त निम्नलिखित आदेशों का भी पालन किया जाय :

(क) मास्टर रौल पर नियुक्त अथवा कार्यभारित कर्मचारियों के प्रारंभिक वेतन के के लिए सम्बंधित शीर्ष से विशेष आवंटन कार्यपालक अभियन्ता का उस शीर्ष आवंटन के अन्तर्गत अधीनस्थ अभियन्ता से प्राप्त करना होगा।

(ख) उपरोक्त (क) के लिए आवंटन देते समय, आवंटन देनेवाले पदाधिकारी अभियंता सेएक सूची प्राप्त करेंगे जिनमें नियुक्त व्यक्ति का नाम नियुक्ति की कार्य का नाम नियुक्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी का प्राधिकार एवं वेतन का रहेगा। इन सूची को जांच करने के पश्चात् ही आवंटन की स्वीकृति दी जायगी।

(ग) उपरोक्त (क) के लिए आवंटन सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसी आय-व्यय शीर्ष में दिया जायगा किस कार्य में उन्हें लगाया गया है।

9. क्रंडित नोट :- ठेकेदार को क्रंडित नोट देने की प्रथा बन्द की जाती है।

10. सड़क के निर्माण में पत्थर की चपाई अथवा प्रिमिक्स आदि कार्य हेतु साधारण की गई मात्रा के अनुसार भुगतान होता है और यह नहीं देखा जाता है कि उचित करने के पश्चात कितने मात्रा प्राप्त हुई। अब से मापी पुस्तिका पर उचित के अन्दर पर एक क्रास सेक्शन में तीन स्थानों पर के बाद ही की मापी पुस्तिका में दर्ज की जाय और तदनुसार कार्य की मात्रा जाय। इस मात्रा एवं आपूर्ति किये गये सामानों की मात्रा की तुलना कर दोनों में जो कम हो उनके अनुसार भुगतान किया जाय। परन्तु चपाई ठीक ढंग से हुई या नहीं यह अवश्य लिया जाय। अधीनस्थ अभियन्ता उपरोक्त कार्य का निरीक्षण करते समय अनिवार्य रूप से ऐस की जांच करेंगे।

11. अनेक ऐसे दृष्टांत आये हैं कि एक ही स्थान पर साधारण मरम्मती विशेष मरम्मत क्षतिग्रस्त मरम्मती एवं मूल कार्य शीर्ष से एक ही प्रकार केकार्य का भुगतान हुआ है। ऐसे सड़क नहर बांध आदि के कार्य में प्राप्त हुए है। अब से प्रत्येक सड़क के लिए रोड रजिस्टर इसी तरह नहर एवं बांध रजिस्टर रखी जाय और उसमें प्रत्येक लम्बाई में किया किस वर्ष किस शीर्ष से हुआ यह लिख जाय। ऐसा रजिस्टर प्रशाखा, अनुमण्डल एवं प्रखंड में रखा जाय। भुगतान के पूर्व बिल बरीय कार्यालय में भेजते समय कार्य का विवरण अवधि दर्ज किया जाय और यह भी प्रमाण कनीय एवं सहायक अभियन्ता दे कि यह कार्य वर्ष किसी अन्य शीर्ष से नहीं किया गया है और इस स्थान पर केवल (अमुख) (कार्य) शीर्ष में किया में किया गया है जिसकी मापी, मापी पुस्तिका संख्या (अमुक) पृष्ट में ली गई है।

12. मास्टर रौल, कैजुअल श्रमिक कार्यभारित कर्मचारियों को भुगतान करने के उनके पिता, गांव एवं पता का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब से इस प्रकार के भुगतान के समय उनके पिता, पति, गांव का पता पूरा होना चाहिए छाप/हस्ताक्षर की जांच बाद में भी

ध्यान देना चाहिए प्रत्येक प्रशाखा, अवर प्रमण्डल के कार्यालय में सरकारी जमीन का एक रजिस्टर रखा जाय, जिसमें जमीन का अभियता द्वारा अंचल प्रमण्डल एवं अवर प्रमण्डल के द्वारा विज्ञाप्ति निकालने एवं निविदा प्राप्त करने

की तिथि निर्धारित की जायगी।

सामान्य रूप से 50.000 रूपये तक के कार्यो की निविदा कोटेशन की विज्ञप्ति भी अन्य कार्यालयों में निविदा कोटेशन प्राप्ति की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व दो प्रतियों में प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि एक प्रति समय पर उस कार्यालय के नोटिस बोर्ड में टंग सके। किस कार्यालय में विज्ञप्ति कब प्राप्त हुई इसका प्रमाण रखना नोटिस निर्गत करनेवाले कार्यालय के लिए आवश्यक होगा।

(ख) भाग 2 कंडिका 1 (18) के अनुसार

(i) एक तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निम्नतम निविदाकर्त्ता/कोटेशनदाता के बीच कार्य नियमानुसार आवंटित किये जा सकते हैं, परन्तु एक निविदाकर्त्ता कोटेशनदाता के साथ ही एक ही एकरानामा किया जाय।

(ii) एकरानामा से संबंधित परिमाण विपत्र के किस मद की मात्रा में कार्यपालक अभियंता अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा क्रमशः 10 प्रतिशत, तक की ही वृद्धि की जा सकती है। साथ ही किसी एकरारनामा के किसी मद की वृद्धि नये मदो के जोड़ने दावे की स्वीकृति अथवा अनुपूरक एकरारनामा के कारण यदि वृद्धि उस कार्य के अभिन्न होने के कारण अपरिहार्य हो जाती है तब इस मूल एकरारनामा की राशि से कार्यपालक अभियन्ता अधीक्षण अभियंन्ता एवं मुख्य अभियंता द्वारा क्रमश 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत तक की कुल वृद्धि करने के लिए ही सक्षम रहेंगे। परन्तु यह वृद्धि यदि उस कार्य के अभिन्न अंग होने के कारण नहीं, जब किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती।

मुख्य अभियंता की शक्ति से अधिक वृद्धि होने पर प्रशासी विभाग का अनुमोदन आवश्यक होगा। उपरोक्त शक्तियों का उपयोग तभी होगा जब वर्तमान नियमों के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन और अथवा प्रावैधिक स्वीकृति की आवश्यकता न हो। यदि इन कारणों से पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन की सम्भावना है, तब प्रशासी विभाग का लिखित आदेश प्राप्त कर ही कार्य किये जा सकते हैं।

(ग) भाग 2 कंडिका (क) 14 में 15 प्रतिशत से कम की निवेदित

दर अमान्य मानी गई है और इसकी चर्चा निविदा की नोटिस में भी लिखने का आदेश है। अब सें न्यूनतम 15 प्रतिशत को विभागीय सामानों को छोड़कर गणना किया जाय जिसे नीचे वर्णित फारमूला के अनुसार जो गणना आती है, उसमें कम की राशि अमान्य मानी जायगी और इसका स्पष्ट उल्लेख गणना कर नोटिस में किया जायगा।

(i) निविदा की नोटिस के अनुसार कार्य की पूरी राशि। क

(ii) इस कार्य के लिए विभाग द्वारा जो समान निर्गत किये जायेंगे इसकी कुल राशि ख

(लोक निर्माण विभाग सँहिता की कंडिका 272 एवं लो०नि०वि०)लेखा सँहिता की कंडिका 131 से 134 के अनुसार

(iii) वह निम्नतम प्रतिशत जिससे कम दर मान्य न होगा

$$\frac{\text{क-ख}}{\text{क}} \times 15 \; (10\%)$$

(घ) प्रत्येक विभाग में अमेष्ट सभी से छूट देने की प्रथा 1 अप्रैल, 84 से बंद की जाय।

7. ठीकेदार के लिए आपसी विभागों से एक से कम प्रत्येक तीन मास पर निश्चित तिथि को बैठक बुलाई जाय। प्रत्येक सदस्यों के बीच कर निर्णय न लिया जाय। एवं क्षेत्रफल का वर्णन एवं कितना अंश है अथवा कितना क्षेत्र किसे कब एवं किस आदेश से हस्तारित हुए ,उसका उल्लेख किया जाय सड़क नहर आदि एलानमेंट में अन्तर करने अथवा बायपास करने के कारण जो जमीन अतिरिक्त हो जाती है, उसका भी इसी रजिस्टर में वर्णन किया जाय। प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त तक एक रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को प्रमण्डल द्वारा जांच कर भेजी जाय जिसमें कुल सरकारी जमीन का क्षेत्रफल अतिक्रमित जमीन तथा हस्क्षार के आदेश का उल्लेख किया जाय और इसे कार्यपालक अभियंता द्वारा अभिप्रमाणित किया जायगा और यह बतलाना जायगा कि पिछले वर्ष से अन्तर का क्या कारण है।

14. प्रत्येक प्रशाखा, अवर प्रमण्डल में पेड़ के रजिस्टर रखने की व्यवस्था है, परन्तु इसमें बहुत ढिलाई बरती जाती है। यह एक बहुमूल्य सरकारी धन है, अतः इसमें ढिलाई गम्भीर गैरजिम्मेवारी मानी जायगी। वन विभाग द्वारा कितने पेड़ लगाये गये और कितने उपलब्ध हैं, इसकी सूचना भी अलग से रजिस्टर में दी जायगी और उन पेड़ों पर संख्या भी अलग क्रम से अंकित की जायगी। इसका सार प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में अधीक्षण अभियन्ता को भेजा जायगा।

15. ठेकेदारों को दी गई सामग्रियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है अथवा बिना व्यवहार के उनके पास सामग्रियाँ नहीं पड़ी है इसे देखने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कनीय, सहायक एवं कार्यपालक अभियन्ता पर रहेगी। इसके अतिरिक्त साधारणतः 15 दिनों की आवश्यकता से अधिक की सामग्री ठेकेदार को नहीं दी जायगी।

16. एक प्रमण्डल से दूसरे प्रमण्डल में सामग्री निर्गत/हस्तांतरण केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही निर्गत सामग्रियों के पूर्ण मूल्य के पूर्व भुगतान करने पर ही किया जायगा। एक अंचल से दूसरे अंचल में सामानों का हस्तांतरण, अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति से ही किया जायगा इसी प्रकार एक मुख्य अभियन्ता के क्षेत्र से दूसरे मुख्य अभियन्ता के क्षेत्र में हस्तांतरण के लिए मुख्य अभियन्ता की और एक विभाग से दूसरे विभाग में हत्सांतरण के लिए अभियन्ता प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

17. बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 261 एवं 262 के अनुसार ठेकेदार को सामग्री देते समय, हस्त रसीद पर कार्य का नाम जिसके लिए सामग्री निर्गत की गई तथा उस हस्त रसीद पर वह सामग्री-विशेष उस कार्य के लिए कितनी मात्रा में ठेकेदार को दी गई, उसका वर्णन आवश्यक होगा।

18. ठेकेदारों को विपत्रों के भुगतान करने के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण मापी पुस्तिका एवं प्रमाणक में देना-

"इस विपत्र तक किये गये कार्य के लिए ठेकेदार को जो सामान दिये गये हैं, इसकी कीमत ठेकेदार के विपत्र से काट ली गई है और अब तक इस कार्य के लिए व्यहृत सभी सामान के मूल्य की मांग का इस कार्य के लिए आवंटन के विरुद्ध समायोजित कर लिया गया है।"

19. सामानों की राशि की यदि, निश्चित दर का पता नहीं हो तब स्थल गणना के आधार पर दर निर्धारण कर व्यय का समायोजन इस कार्य के प्राप्त आवंटन के विरुद्ध किया जायगा।

20. (क) किसी भी कर्मचारी/पदाधिकारी को किसी माप में दिये गये,

अग्रिम का लेखा होनी चाहिये और कार्यपालक अभियन्ता द्वारा इसके अन्यथा अग्रिम नहीं दिया जायगा।

उपरोक्त (क) में वर्णित अग्रिम में गृह निर्माण, मोटर कार अग्रिम वेतन आदि नहीं है।

21. प्रमण्डल के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों को दिये गये अग्रिम की लेखा रखी जाय। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रमण्डल कार्यालय को अग्रिम लेखा की एक प्रति प्रत्येक मास तारीख को अधीक्षण अभियन्ता को भेजी जाय जिसमें यह भी लिखा जय कि किस शीर्ष आवंटन के विरुद्ध अग्रिम दिये गये।

22. इसी प्रकार (क) मिसलेनियस पी॰ डब्लू॰ एडभांस (ख) पब्लिक वर्क्स डिपोजित ठेकेदारों के विपत्रों से किपबेक आदि रोकी गई राशि, तथा लोक निर्माण संहिता की कंडिका 540 की (i) एवं (ii) कि मासिक लेखा रखी जाय तथा इस मासिक लेखा को भी अधीक्षण अभियन्ता को प्रत्येक मास के 10 तारीख तक प्रमण्डल द्वारा भेजा जायगा और यह बतलाया जायगा कि किस आवंटन के विरुद्ध इन लेखाओं में राशि लाई गई।

23. जमानत एवं अर्नेस्ट मनी की वापसी, डिपोजिट शीर्ष के भुगतान किस बैंक तक रोको गई राशि के भुगतान की मासिक विवरणी प्रत्येक अगले मास के 10 तारीख को अभियन्ता को प्रमण्डल द्वारा भेजी जायगी जिसमें यह दिखलाया जाएगा कि इसके लिए किस एवं किस किस आवंटन के विरुद्ध भुगतान खिलाया गया था। यदि आवंटन की आवश्यकता नहीं थी तब उसका कारण दिखाय जायगा।

24. कंडिका 20 से 23 की विवरणी प्रमण्डलीय लेखाकार के द्वारा बनाई जाय जिसे कार्यपालक अभियंता जांचकर अधीक्षण अभियंता को भेजेंगे।

25. अधीक्षण अभियंता उपरोक्त कंडिका 20 से 23 में वर्णित लेखा पर फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर एवं दिसम्बर मास में उस वित्तीय वर्ष की तबतक की स्थिति के संबंध में एक समीक्षक टिप्पणी मुख्य अभियंता को भेजेंगे।

26. प्रमण्डल एवं अंचल के प्रधान लिपिक/सहायक की यह जिम्मेवारी रहेगी कि वे प्रत्येक के प्रथम दिन निर्गत पंजियों को देख लें कि उसमें कोई निर्गत संख्या रिक्त है या नहीं। रिक्त संख्या को वे काटकर अपना हस्ताक्षर कार दें और उसकी सूचाल उसी दिन कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण के प्रावैधिक परामर्शी को देंगे। रिक्तियों के लिए दोषी व्यक्तियों को लिखित रूप से चेतावनी दी जाए अधीक्षण अभियन्ता प्रमण्डलों के विधिवत निरीक्षण एवं समय-समय पर आकास्मिक निरीक्षण के द्वारा इसे देखा करेंगे।

27. अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को प्रदत्त शक्तियां

के अनुसार प्राक्कलनों की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति है। ऐसे प्राक्कलन स्वीकृत अनुसूचित दर एवं अनुसूचित दर नहीं है विश्लेपित दर के आधार पर स्वीकृत किए जाते है। ऐसी विश्लेपित दरों अनुमोदन, प्राक्कलन की स्वीकृति के पूर्व, अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अभियन्ता ऐसे मदों का विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निध रिण समिति के संयोजक एवं उसके पर सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन, यदि आवश्यकता हुई संशोध नोपरान्त, प्राप्त करेंगे। प्रत्येक अधीक्षण अभियंता अपने द्वारा ऐसे सभी विश्लेषण की सुची बैठक में रखेंगे।

28. लोक निमार्ण संहिता की कंडिका 123,183,एवं 184 में पुनरीक्षित कायकलन पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति का उपलब्ध किया गया है। अनुपालन दृढ़ता से किया जाय।

20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की संभावना ही उसका पुनरीक्षित प्राक्कलन विचार किया जाय और उस पर प्रावैधिक स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य कराया जाय।

इसी प्रकार प्रशासकीय अनुमोदन जिस प्राक्कलन के आधार पर दिया जाता है उसके सार में वर्णित मुख्य मदों (सबहेड) के अन्तर्गत जैसे हो आवासीय भवनों के कार्य में 10 प्रतिशत एवं अन्य कार्यों में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की संभावना हो वैसे ही उसका पुनरीक्षित प्राक्कलन तैया किया जाय और उसपर प्रशासी विभाग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य कराया जाय।

29. बाढ़ क्षति, विशेष अथवा सामान्य मरम्मती हेतु एक प्रमण्डल के लिए प्राक्कलनों की स्वीकृति उसी राशि-सीमा के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, अध िक्षण अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा की जा सकती है जो अभियांग प्रमुख (जहाँ अभियंता प्रमुख नहीं है, वहां मुख्य अभियंता) द्वारा उस वर्ष के लिए सीमित की गई हो। जबतक अभियंता प्रमुख (जहाँ अभियंता प्रमुख नहीं है वहां मुख्य अभियंता) द्वारा ऐसी राशि का निर्धारण नहीं किया जाता है, मरम्मती वर्ष के अन्तगत कोई भी पदाधिकारी प्राक्कलन स्वीकृत नहीं करेंगे।

प्रत्येक पदाधिकारी अपने क्षेत्र में स्वीकृत ऐसे प्राक्कलनों का रजिस्टर रखेंगे और प्रत्येक प्राक्कलन की संख्या एवं स्वीकृति की तिथि उस प्राक्कलन पर लिखेंगे।

ENCLOSURE

TO PARA 2 (DHA)

Level Boók No. Page No

Levels for (Name of Work) :—

Agreement No. Date :

(collimation Methee)

Division/Subdivision/Section

Back Sight	Inter mediate	Feresight	Reduced Level		Distance	Remarks
			In Str. line	Staff Station		

S.C.s. line

AEs line

EEs line

Bise & Fall Methco

Line	Stack sigm	Inter medic	Fere signt	Rise	Fsil	Reduced level	Distance	Remarks

बिहार सरकार वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या ए3-10-84 83- 11389 वि. पटना,

दिनांक 22 दिसम्बर, 1933 ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

विषय : श्रमिक सहयोग समितयों को बिना निविदा मांगे एवं बिना अध्यन के कार्य का आवंटन।

उपरोक्त विषय इस विभाग के ज्ञाप संख्या 14619 वि० दिनांक 28-10-78 तथा 5416 दिसम्बर 25-5-81 का निर्देश करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने श्रमिक सहयोग समितियों को ठेका देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया है।

1. श्रमिक सहकारिता विभाग द्वारा विधिवत निबंधित तथा बिहार राज्य श्रमिक सहयोग लिमिटेड बिहार पटना या उसके जिला संघ द्वारा पमाणित श्रमिक सहयोग समितियों को आवंट की प्रक्रिया–

बिहार विभग नियमवली भाग के नियम 234, 235, 236 एवं 239 के शिथिल करते हुए नियोज कार्यक्रम के बहुत किये जा रहे कार्य बिना निविदा, बिना अग्रधन एवं बिना जमानत के दिये सकते हैं,

सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग के फिल्ड चैनेल्स एवं बटर कोर्सेज के निर्माण कार्य तथा लघु नहर नहरियों के संरक्षण कार्य, भवन निर्माण विभाग के भवनों के संरक्षण तथा पथ निर्माण के अन्तर्गत पथों के लिए संरक्षण कार्य हेतु मिट्टी के कार्य निविदा के आधार पर बिना अग्रधन के 50. 000/- रुपये तक के प्राक्कलित राशि के कार्य प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किये जा सकते हैं। इसके लिए उसे सरकार के पूर्व 2 प्रतिशत प्रारंभिक जमानत की राशि जमा करनी होगी और शेष प्रतिशत राशि इनके चालू किस्तों से जमानत के रूप में काटी जायगी।

उपरोक्त ख के कार्य के लिए यदि विभागीय सामग्री अथवा यंत्र एवं संयंत्र देने की आवश्यकता हुई तब प्रारम्भिक जमानत की राशि 5 प्रतिशत होगी

और शेष ८ प्रतिशत चालू विपत्र में काटे जायेंगे।

उपरोक्त पत्र एवं (ख) के कार्य के लिए श्रमिक सहयोग समितियों को विभाग के अन्य ठेकेदारों की भांति विभाग में निबंधन करने की आवश्यकता न होगी परन्तु उनके कार्यकारी होने का प्रमाण बिहार एवं श्रमिक सहयोग संघ लिमिटेड बिहार, पटना या उनके जिला संघ से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. (क) बिहार राज्य श्रमिक सहयोग संघ लिमिटेड तथा उनके जिला संघ द्वारा प्रमाणित श्रमिक सहयोग समितियों को एक ठेकेदार की तरह माना जाय तथा वे अन्य निविदाओं की तरह निविदा देंगे पर इसके लिए श्रमिक सहयोग समिति को अन्य ठेकेदारों की तरह सरकार के विभागों एवं अन्य कार्यालयों में निबंधन कराने तथा अग्रधन की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) इस तरह के कामसे में श्रमिक सहयोग समिति को एकरारनामें के समय केवल 2 प्रतिशत प्रारंभिक जमानत की राशि जमा करनी होगी, यदि सम्बन्धित कार्य मात्र श्रम कार्य के लिए ही आवंटित किया जानेवाला जो शेष 8 प्रतिशत उनके चालू विपत्र से काटे जायेंगे।

(ग) बिहार श्रमिक सहयोग संघ बिहार पटना या उनके संघ द्वारा प्रमाणिध ात श्रमिक सहयोग समितियों का अन्य कार्य करेगा। जिस क्षेत्र में कार्य होगा उस क्षेत्र के

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

विक्रेता का हस्ताक्षर एवं तिथि
(वि मु- 3-602 87 (खंड)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विक्रमादित्य प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव (विधि)

पत्र संख्या-1/स्था- 51/87-) अंश-1851/त॰प॰को॰

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी परीक्षक कोषांग, बिहार, पटना

प्रेषक,

आर॰ के॰ सिन्हा,

अभियन्ता प्रमुख।

सेवा में,

सभी संयोजक अनुसूचित दर-निर्धारण समिति

पटना, दिनांक 6-9-89

विषय : परिमापण विपत्र में अंकित दर से अधिक दर की स्वीकृति करने पर विभागीय सामग्रियों के घटते दरों में भी तदनुसार वृद्धि एवं कम करने के संबंध में।

प्रसंग : तकनीकी परीक्षक कोषांग का पत्र सं॰ 30-6-89

महाशय,

इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1399 दिनांक 30-6-89 से वैसे कार्यों के निविदा में जिसमें विभागीय सामग्री सम्मिलित है संवेदक द्वारा निर्बंधित राशि से अधिक राशि की मांग को स्वीकार करने के क्रम में निविदा निष्पादन हेतु आवश्यक सुझाव सभी संयोजकों को दिये गये थे। दिनांक 17-8-89 – 18-8-89 को केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में सभी संयोजकों से इस बिन्दु पर पुन: विमर्श किया गया तदनुसार इस कर्यालय के पत्र सं॰ 1399 दिनांक 30-6-89 को स्थगित किया जाता है। इस पर पुन: भलीभांति विचार कर यह निर्णय लिया गया कि वैसे कार्यों के निविदा नोटिस निर्गत करते समय जिसमें विभागीय सामग्री सम्मलित हों, निविदा नोटिस एवं एकरारनामा में यह लिखा रहना अनिवार्य होगा कि संवेदनक को विभागीय सामग्री पर अधिक

दर (एकरारनामा में अंकित निर्गत दर से) इत्र नहीं होगा एवं इस आधार पर ही भुगतान की प्रक्रिया अपनायी जायगी।

सभी संयोजकों से अनुरोध है कि उपरोक्त आशय के संबंध में अपने अपने क्षेत्र के सभी सदस्यों को अवश्य ही अवगत करा देने एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

पत्र संख्या 1 म्न -51/87 (अंश) (1399 न.प.का.)

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी परीक्षक कोषांग बिहार, पटना

प्रेषक,

आर. के. सिन्हा, अभियन्ता प्रमुख।

सेवा में,

सभी संयोजक अनुसूचित दर-निर्धारण समिति

पटना, दिनांक: 30-6-89

विषय : परिमाण विपत्र में अंकित दर से अधिक या कम दर के स्वीकृत करने पर विभाग सामग्रियों के घटते दरों में भी तदनुसार वृद्धि एवं कम करने के संबंध में।

महाशय,

आये दिन निविदा में संवेदक द्वारा निविदत्त राशि से अधिक राशि दिये जाने के संबंध में उससे संबद्ध निविदा निष्पादन के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारी महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये आपत्ति का जिक्र कर कोषांग में पत्र लिखते हैं। तथा यथोचित मार्गदर्शन की मांग करते हैं। ऐसे मामलों के लिए इन लोगों का मौलिक पत्र है कि निविदा निष्पादन में निविदत्त राशि अधिकतम राशि की गणना करने के क्रम में बी.ओ.क्यू. की राशि में से विभागीय निर्माण सामग्रियों की कीमत घटा कर की जाय अथवा बिना घटाये की जाय। इस संबंध में कोई भी निर्णय एकरारनामा के उपबन्धों के अनुसार ही होगा चूंकि एकरारनामा एन.आई.टी. में ही इस विषय के संबंध में आवश्यक रूप से उपलब्ध कर देना उचित होगा।

उल्लेखनीय है कि निविदा निष्पादन करने वाले पदाधिकारी का निविदा निष्पादन करने की संकल्प सं 949 दिनांक 16-7-86 के आलोक में बी.ओ.

क्यू. की राशि में 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अधिक देने की है जो नीचे की कंडिकाओं में अंकित है।

(i) 20 (बीस) लाख रुपये तक की चालू अनुसूचित दर पर आधारित मूल कार्य प्राक्कलन जिसकी कार्य अवधि एक साल तक की होगी के प्रशासनिक स्वीकृति प्राक्कलित राशि के ऊपर 5प्रतिशत अधिकतम राशि के अन्तर्गत निविदा निस्तार किया जा सकता है।

(ii) साम्पति एवं अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन जो चालू अनुसूचित दर के आधार पर स्वीकृत किये गये हों के ऊपर किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी निविदा निष्पादन में नहीं होगी।

(iii) 20 (बीस) लाख रुपये से अधिक की मूल परियोजनाओं जो 2-3 वर्षों में पूरा किये जा सकते हैं तथा जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति चालू अनुसूचित दर पर प्राप्त है के ऊपर 10 प्रतिशत अधिकतम राशि के अन्दर निविदा निस्तार किया जा सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त संकल्प के अनुसार निविदा निष्पादन हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार बी.ओ.क्यू. जो चालू अनुसूचित दर पर बना से तथा जिसकी राशि प्रशासनिक स्वीकृति राशि के सम्बद्ध भाग से अधिक नहीं हो के ऊपर अधिक राशि की गणना कर ली जाय। तत्पश्चात् बी.ओ.क्यू. के राशि में से एवं बी. ओ. क्यू. के ऊपर अधिकतम प्राकलित राशि से अलग-अलग विभागीय समाग्री की कीमत घटा दी जाय। मान लिया कि प्रथम स्थिति से राशि की गणना "क" एवं द्वितीय स्थिति से राशि की गणना "ख" आता है। जब से निविदा नोटिस निकलने राज्य संवेदकों को प्र. सं. 462 न.प.क., दिनांक 30-3-82 गणना के साथ-साथ कितनी राशि अर्थात "क" पर संवेदक अधि

कतम प्रतिशत की गणना करेंगे का उल्लेख कर देना होगा। उपरोक्त एवं (iii) स्थिति के अलग-अलग उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। विभाग द्वारा कौन-कौन निर्माण उक्त कार्य के लिए संवेदक को निर्गत किये जायेंगे निविदा निकालने के पूर्व उसकी मात्रा एवं संहिता के अनुसार निर्गत दर निर्धारित कर निविदा नोटिश में सही-सही अंकित कर देना अत्यन्त आवश्यक होगा।

उदाहरण :

(i) किसी कार्य के बी.ओ.क्यू. (जो चालू अनुसूचित दर पर बना हो तथा जिसकी राशि प्रशासनिक स्वीकृत राशि से सम्बद्ध भाग के बराबर या अन्तर्गत हो) के अनुसार	रु. 2,00,00,00
(ii) उक्त कार्य () के लिए विभागीय सामग्री की कीमत जो संहिता के अनुसार निर्गत दर पर आकलित किया गया हो	रु. 0,50,000.00
(iii) संकल्प सं-948 दिनांक-16-7-86 के अनुसार निविदा निष्पादन की अधिकतम राशि (बी.ओ.क्यू.) के ऊपर 5 प्रतिशत	रु. 2,10,000.00
(iv) (निविदा की राशि) बी.ओ.क्यू. की राशि में से विभागीय सामग्री की कीमत (ii) घटाकर निविदा नोटिस में अंकित करने के लिए	रु. 2,00,000 (-) रु. 50,000/- =1,10,000.00 (ख)
(v) निविदा निष्पादन की अधिकतम राशि विभागीय सामग्री की कीमत (ii) घटाकर	रु. 2,10,00,00 (-) रु. 50,000 =रु.1,60,000.00 (ख)

2 (i) किसी कार्य के बी.ओ.क्यू. (जो चालू

अनुमोदित दर पर बना हो तथा जिसकी राशि प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बद्ध भाग के बराबर या अन्तर्गत हो) के अनुसार कीमत	रु. 25,00,000
(ii) उक्त कार्य) के लिए विभागीय सामग्री की कीमत जो मोहना के अनुसार निर्गत दर पर आकलित किया गया हो।	रु. 5,00,000.00
(iii) संकल्प सं318 दिनांक 16.7.86 के अनुसार निविदा निष्पादन की अधिकतम राशि (बी.ओ.क्यू.) के ऊपर 10%	रु. 27,50,000.00
(iv) निविदा की राशि (बी.ओ.क्यू.) की राशि में से विचारीय	रु. 20,00,000.00
(v) निविदा निष्पादन की अधिकतम राशि "विभागीय सामग्री की कीमत (ii)घटाकर	रु. 27,50,000
	(-) रु. 5,00,000
	रु. 2250,000 (ख)

निविदा प्राप्त होने के पश्चात संवेदकों द्वारा निविदा की राशि में अधिक राशि देने पर उसका प्रतिशत निकाल ली जाय एवं ऊपर वर्णित आकलित राशि "ख" के अन्तर्गत जो पदाधिकारी उक्त ऊंचे प्रतिशत को निविदा के निष्पादन के लिए सक्षम हों अपने स्तर से निष्पादन करेंगे।

सभी संयोजकों से अनुरोध है कि इस विषय के संबंध में अपने क्षेत्र के सभी सदस्यों को अर्थात् अधीक्षण अभियंताओं को अवश्य अवगत करा दें

ताकि संकल्प सं.948 दिनांक 16 7 86 एवं महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये आपत्ति के आलोक में बी.ओ.क्यू. से विभागीय निर्माण सामग्री की कीमत घटाकर निष्पादन करने में कठिनाई नहीं महसूस करें।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(आर० के० सिन्हा)

अभियन्ता प्रमुख

पत्रांक-383

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई.के.एन. लाल, अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार,पटना

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी
अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, रक्सौल
कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल

विषय : माप पुस्तिका के निर्गत किये जाने उनका निगरानी शाखा द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुसार प्रत्येक नवम्बर, सितम्बर में समर्पण।

महाशय,

अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी, त्रिवेणी नहर अवसर प्रमंडल, रक्सौल के पत्रांक 233 दिनांक 2.6.89 से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम विनोद शर्मा, कनीय अभियंता को एक साथ 20 से ज्यादा माप पुस्तिका निर्गत किये गये हैं और वे उन्हें निदेशों के बावजूद अनुमंडलीय कार्यालय में समर्पित नहीं करते हैं।

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

प्रेषक: श्री आई.एन. सिन्हा, अभियन्ता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग

पटना, दिनांक 8.11.90

विषय : खनिज पर रॉयल्टी के संबंध में।

महाशय,

कार्यों में व्यहृत होनेवाले सामानों, जो खनन से संबंधित हैं, उसके रॉयल्टी उगाही के संबंध में समय-समय पर आपको निदेश दिया जाता रहा है। सरकार के राजस्व की हानि न हो अतः यह भुगतान करनेवाले पदाधिकारी का निजी दायित्व होता है कि वे इस संबंध में पूरी छानबीन कर आश्वस्त होकर, राजस्व की उगाही के पश्चात् ही भुगतान करें।

सरकार के सक्ष इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है कि कई स्थानों पर इन आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा है जिसके चलते खनन से प्राप्त पत्थरों, बालू, मिट्टी, मरूम आदि पर रॉयल्टी विधिवत जमा नहीं किया जा रहा है।

अतः उन्हें निदेश दिया जाता है कि भुगतान करनेवाले पदाधिकारी खनिज में प्राप्त सामानों की गुणवता आदि को जांच कर रॉयल्टी की उगाही के पश्चात ही भुगतान करें। इस आदेश का दृढ़ता से पालन करें।

आपका विश्वासी,

ह:-

(आई. एन. सिन्हा)

अभियन्ता प्रमुख

पत्र संख्या । स्था. ३३५४ । १३६ त.प.को.

कंडिका 7

प्रेषक,

श्री रणजीत कुमार सिन्हा, अभियन्ता प्रमुख।

सेवा में,

सभी संयोजक, अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

पटना, दिनांक 4-10-90

विषय : परिमाण विपत्र में अंकित दर से अधिक दर को स्वीकृत करने की विभागीय सामग्री की मदों दरों में तदनुसार वृद्धि एवं कम करने के संबंध में।

प्रसंग : तकनीकी परीक्षक कोषांग का पत्रांक 1399 त.प.को. दिनांक 30-6-89 एवं 1851 त.प.को. दिनांक 6-9-89

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री दिनेशचन्द्र झा, अभियन्ता प्रमुख सह-अपर आयुक्त, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि निविदा का बाजार दर का एवं विभागीय सामग्रियों का रिमाण विपत्र में अंकित निर्गम दर लेकर पूरी लागत निकलता है और उसके आधार पर विभिन्न मदों के फिनिश्ड दर उद्धृत करता है। प्रासंगिम पत्रों द्वारा लगाये प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा उद्धृत फिनिश्ड दरों में वृद्धि की ही संभावना है।

इस संदर्भ में अभियनता प्रमुखों की एक बैठक तिथि 20-9-90 को इस कोषांग में हुई जिसमें निम्नलिखित अभियन्ता प्रमुख उपस्थित हुये।

1. श्री ए. के. लाल, अभियन्ता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग
2. श्री के. एन. लाल, अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग

3. श्री डी. सी. झा, अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग

4. श्री आर. के. सिन्हा, अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग

बैठक में श्री डी. सी. झा के ऊपर वर्णित सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त परिस्थिति में कोषांग द्वारा निर्गत पत्रांक 1399 दिनांक 30-6-89 एवं 1851 दिनांक 6-9-89 को वापस लिया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रणजीत कुमार सिन्हा)

अभियन्ता प्रमुख

मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) का कार्यालय जल संसाधन (सि.) विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- यां/2-स्था-1/90-2062 पटना, दिनांक 21-9-90

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,

विषय : फाटकों के अनुरक्षण के संबंध में।

महाशय,

19-9-90 को मुख्य अभियन्ताओं की राज्य स्तरीय मासिक बैठक में आयुक्त एवं सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग के अधीन के सभी फाटकों के अनुरक्षण मुख्य अभियन्ता (यां.) करायेंगे। इस क्रम में अनुरोध है कि आपके अधीन जितने भी फाटक हैं उनके विवरण कृपया निम्न प्रपत्रों में भर कर अगली मासिक बैठक तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

फाटकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु पहले भी पत्रांक 687 दिनांक 10-4-90 द्वारा अनुरोध किया गया है।

प्रपत्र

क्र.	फाटक कहां लगे हुए हैं	फाटक किस कार्य में लगे हैं।	फाटक किस स्थान पर लगे हैं (प्रखंड एवं जिला सहित।)	किस तरह के फाटक हैं
1	2	3	4	5

पत्र संख्या-1(स्था)-51/87-(341) 1851/अ.प्र.का.

कंडिका-6

प्रेषक,

आर. के. सिन्हा,

अभियन्ता प्रमुख।

सेवा में,

सभी संयोजक अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

विषय : परिमाण विपत्र में अंकित दर से अधिक दर की स्वीकृति करने पर विभागीय सामग्री के घटते दरों में भी तदनुसार वृद्धि एवं कम करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : तकनीकी परीक्षक कोषांग का पत्र सं.30-6-89

महाशय,

इस-कार्यालय के पत्र सं.- 1399 दिनांक 30-6-89 से वैसे कार्यों के निविदायों जिसमें विभागीय सामग्री सम्मिलित है सम्वेदक द्वारा निविदत राशि से अधिक राशि की मांग को स्वीकार करने के क्रम में निविदा निष्पादन हेतु आवश्यक सुझाव सभी संयोजकों को दिये गये थे। दिनांक 17-8-89 - 18-8-89 को केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में सभी संयोजकों से इस बिन्दु पर पुनः विमर्श किया गया तदनुसार इस कार्यालय के पत्र सं.71399 दिनांक 30-6-89 को स्थगित किया जाता है। इस पर पुनः भलिभांति विचार कर यह निर्णय लिया गया कि वैसे कार्यों के निविदा नोटिस निर्गत करते समय जिसमें विभागीय सामग्री सम्मलित हो, निविदा नोटिस एवं एकरारनमा में यह लिखा रहना अनिवार्य होगा कि सम्वेदक को विभागीय सामग्री पर अधिक दर (एकरारनामा में अंकित निर्गत दर से) देय नहीं होगा एवं इस आधार पर ही भुगतान कीप्रक्रिया अपनायी जायगी।

सभी संयोजकों से अनुरोध है कि इस आशय के सम्बन्ध में अपने अपने क्षेत्र के सभी सदस्यों को अवश्य ही अवगत करा दें एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दें।

विश्वासभाजन

ह०/- रंजित कुमार सिंहा

अभियन्ता प्रमुख

(A G Para 4.22) 92-93 (अनु)

पत्र संख्या 2 अंके 1 [illegible]

मुख्य अभियंता का कार्यालय,

जल संसाधन विभाग, डोरण्डा, रांची।

प्रेषक,

श्री रामनाथ प्रसाद,

मुख्य अभियन्ता।

सेवा में,

सचिव,

जल संसाधन विभाग,

(सिंचाई भवन), पटना 15

रांची, दिनांक 13 अप्रील, 1996

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (सिविल) की कण्डिका-4.22) धनसिंहटोली जलाशय योजना)।

प्रसंग : विभागीय अर्द्धसरकारी पत्रांक 313 दिनांक 10-4-96 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कण्डिका का उत्तर प्रतिवेदन तैयार कर संलग्न किया जाता है। दिये गये उत्तर के आलोक में कण्डिका विलोपित करवाने की अनुशंसा की जाती है।

अनु : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मुख्य अभियन्ता

जलसंसाधन विभाग, रांची।

धनसिंह टोली जलाशय योजना के मिट्टी बाँध निर्माण कार्य पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (सिविल) की कण्डिका 4.2.2 का प्रतिवेदन।

प्रसंगाधीन कण्डिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यह आपत्ति उठाई गयी है कि **धनसिंह टोली जलाशय योजना का कार्य** तीन समूहों में बिहार राज्य निर्माण निगम को दिसम्बर, 86 में आवंटित किये जाने के फलस्वरूप **45.03 लाख रुपये की अतिरिक्त परिहार्य व्यय वहन करना** पड़ा है क्योंकि निविदा में अन्य सम्वेदकों द्वारा उद्धृत दर पर कार्य आवंटित किया जाता तो कार्य **201.96 लाख रुपये का होता।**

बिहार राज्य निर्माण निगम को (3.5% एवं 4.8%) ऊपर दर पर कार्य आवंटित करने के कारण कार्य का मूल्य **246.99 लाख आंका गया।**

इस सम्बन्ध में वर्ष जुलाई, 1986 के प्रपत्र का हवाला देते हुए निर्माण निगम को अन्य सम्वेदकों के भाँति की निविदा में प्राथमिकता देने की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में कहना है थक धनसिंह टोली जलाशय योजना के लिये तीन **समूहों में बांटकर 237.60 लाख प्राक्कलित राशि पर निविदायें आमंत्रित की गयी, जिसमें अन्य अन्य सम्वेदकों की तरह बिहार राज्य निर्माण निगम ने भी हिस्सा लिया।**

सिंचाई विभाग के पत्र संख्या 24 दे.भी.यो.-1-1072-85/-534 दिनांक 27 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह प्रावधान किया गया है कि अगर निर्माण निगम किसी कार्य के लिये निविदा देता है और उनका टेन्डर्स एमाउन्ट विभागीय "सिड्यूल्य ऑफ रेट्स" से 15.00% तक कम या 5.0% तक अधिक रहता है तो निगम यदि न्यूनतम निविदादाता नहीं हो तो भी **वह कार्य निगम को ही निविदित दरों पर आवंटित किया जायेगा।**

उक्त धनसिंहटोली जलाशय योजना के उपरोक्त तीन समूहों के कार्य उपरोक्त आदेश एवं सिंचाई विभाग के पत्रांक 1084 दिनांक 16.10.86 के आलोक में बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित किया गया, जिसपर सचिवालय स्तर पर विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ही बिहार राज्य निर्माण

निगम को आवंटित किये गये। इस कार्य की स्वीकृति की सूचना अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, बिहार पटना के पत्रांक फोल्डर संख्या 1849/32एस-13-6069/86- दिनांक 6 जून, 1987 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दी गयी है।

जहां तक मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) का संकल्प संख्या 948 दिनांक 16 जुलाई, 1986 के कण्डिका 10) (1) के द्वारा उपरोक्त तरह के निर्णय लेने पर रोक का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कहना है कि वस्तुतः इस संकल्प का प्रचारण (circulation) इस कार्य से संबंधित आवंटन पर निर्णय लेने की तिथि तक तथा उसके बाद भी काफी दिनों तक जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया और वह पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी हालत में निगम को कार्य आवंटित विभागीय प्रचलित नियम एवं प्रावधान के तहत ही किया गया एवं इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी। निगम एक राज्य सरकार का ही संस्थान है तथा उसको समुचित मात्रा में कार्य आवंटन हो जाए इस हेतु बाद में विभाग द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि अनुसूचित दर के ऊपर 5% प्रति. की सीमा तक बिना निविदा आमंत्रण प्राप्त किये कार्य आवंटित किया जाय।

इस दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो विभाग द्वारा निगम को आवंटित कार्य अनियमित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि निगम को आवंटित कार्य 5% ऊपर दर के अधीन ही है। निगम को इस तरह से आश्रय देने के बात उपरोक्त संकल्प संख्या 948 दिनांक 16.7.86 में भी निहित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह कण्डिका विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

अनु: यथोक्त।

(रामनाथ प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, रांची।

पत्रांक-कोल्डर सं.1849/32/एस 13-6069/86

बिहार सरकार,

सिंचाई विभाग

प्रेषक,

श्री जी.पी. तिवारी,

अभियन्ता प्रमुख-सह-अवर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

सिंचाई वभाग, अविहार, पटना।

सेवा में,

श्री टी.पी. पाण्डेय,

मुख्य अभियन्ता, (सिंचाई),

रांची।

पटना, दिनांक 6 जून, 1987।

विषय : मुख्य अभियन्ता, (सिंचाई), रांची के प्रक्षेत्र में नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निविदाओं के निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग : उनका पत्रांक 15/गो. दिनांक 10-1-87 तथा इस कार्यालय का पत्रंक अ.प्र.गो. को.-21/87-119 दिनांक 6.4.87।

महाशय,

मुख्य अभियन्ता के उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा कतरी, धनसिंहटोली, केशो तथा भैरवा जलाशय बोजनाओं के लिये निविदायें आमंत्रित कर, बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित की गयी थी। मुख्य अभियन्ता के उक्त कार्रवाई की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

मुख्य अभियन्ता उपरोक्त चारों योजनाओं पर तदनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/- जी.पी. तिवारी,

6.6.87

भियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष

सचिव,

सिंचाई विभाग, पटना।

पत्र संख्या-24/दे.सि.यो.-1-1072/85

बिहार सरकार,

सिंचाई विभाग

प्रेषक,

श्री नी. सान्याल,

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सिंचाई

सेवा में,सभी मुख्य अभियन्ता

सिंचाई विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 26 जनवरी, 1986 ई.

विषय : बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्यों के आवंटन की पद्यती।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक-9/नि॰नि॰का॰आ॰4-2010/80-3373 दिनांक 27-8-81।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपरोक्त प्रासंगकि पत्र में बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य आवंटित करने की पद्धति निर्धारित की गई है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि इसका पालन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त परिपत्र के कंडिका-''ड'' इस प्रकार है-

> अगर निगम किसी कार्य के लिए निविदा देता है और अगर उसका टेन्डर्ड एकाउन्ट विभागीय ''शिडयूल ऑफ रेट्स'' से 15 प्रतिशत कम या 5 प्रतिशत तक अधिक रहता है तो निगम यदि न्यूनतम निविदाता नहीं भी है, तो भी वह कार्य निगम को ही निविदित दरों पर आवंटित किया जायगा।

उपरोक्त कंडिका के अनुसार दूसरे संवेदक को कार्य तभी आवंटित करने का कोई प्रश्न उठता है जब या तो निगम निविदा नहीं देता है अथवा

निगम के निविदित दर 5 प्रतिशत से ज्यादा ऊंचा हो।

ऐसा स्पष्ट सरकार की निति के बावजूद, अगर निर्माण निगम निविदा दर 5 प्रतिशत का हो और, किसी खास कारण से मुख्य अभियन्ता समझते हैं। कि निगम को कार्य नहीं देना हो तो उन्हें सर्वप्रथम सरकार का आदेश प्राप्त करना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है और कभी-कभी मुख्य अभियन्ता और अन्य अभियन्ता द्वारा निगम से परिमाण विपत्र के 5 प्रतिशत अधिक ऊंचा तक का दर प्राप्त होने पर भी कार्य दूसरे संवेदक को दे देते हैं। यह उपरोक्त सरकारी आदेश के विपरीत है।

अतः पुनः निदेश दिया जा रहा है कि उपरोक्त नियम को पालन किया जाय और अगर कोई खास कारणवश किसी खास निविदा में उसे अनुपालन करना उचित प्रतीत नहीं हो तो इस पर सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेना होगा। इस नियम को शिथिल करने के लिये क्षेत्रीय पदाधिकारी सक्षम नहीं हैं।

कृपया इसकी प्रति सभी अधीक्षण अभियन्ताओं एवं कार्यपालक अभियन्ताओं को दे दें और पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

विश्वासभाजन,

(नी० सान्याल)

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त इस

विशेष सचिव, सिंचाई विभाग

Date of	Order with signature	Office Notes as to action (if any) taken on order
	In the High Court of Judicature at Patna... CWJC No. 9934 of 200 Girija Nandan Thakur Vrs. The State of Bihar & ors. For the petitioner :M/s Samrendra Partap Singh & Kamal Kishore Singh. For the State : Mr. Subhash Chandra Mishra, JC to AG 3.	
22.6.2001	The Petitioner is aggrieved by the decision as contained in letter no 4285 dated 31.12.98 of the Chief Engineer, Water Resources, Muzaffarpur directing recovery of Rs. 4.68 lakhs from the petitioner's salary. Copy of the said letter dated 31.12.98 is Annexure-6 to the writ petition. The direction, contaned in the said letter which was addressed to the Chief Engineer, Water Resources, Dehri has been passed on to subordinate officers purs uant to which the Executive Engineer, Sone Barrage Division, Indrapuri has issued office order vide memo no. 1099 dated 28.6.2000, for recovery of the amount Rs. 6800/- per month from the petitioner's salary. Copy of the said letter/memo dated 28.6.2000 is Annexure-11 to the writ petition. The petitioner was posted as Junior Engineer, Tirhut Canal Division-I, Muzaffarpur at the relevant	

Date of	Order with signature	Office Notes as to action (if any) taken on order
Cont		

time during 1979-82. The 1992-93 audit report revealed shortager of stock worth Rs. 4.68 lakhs during thut period. In the counter affidavit, vide paragraph 20, it has been stated that the petitioner was asked to explain the shortage to which he did not respond. Ultimately, pursuant to reminder letter he submitted show cause on 7.8.97 which was not found satisfactory. The decision was accourdingly taken to recover the amount from his salary.

The short point urged on behalf of the petitioner on which the writ petition is fit to succeed, is that the show cause of the petitioner has not been taken into consideration and thus, there has been violation of rules of natural justice. I find substance in the contention. It is clear form a reading of the impugned letter dated 31.12.98 (supra) that the decision rests entirely on the audit report (civil) para-5.5 The said paragraph of the audit report, it appears, refers to shortage of stock of which the petitioner was custodian as th Junior Engineer. He is therefore certainly liable to explaining the shortage. In his show cause dated 7.8.97 he gave some kind of explanation. The impugned letter is conspicuously silent on his defence. The letter does not give any indication whatsoever that the petitioner had filed his show cause [illegible] that it was taken into consideration. The case based as it is [illegible] on the audit report, it can

Date of	Order with signature	Office Notes as to action (if any) taken on order
Cont..	be argued that there has been non-application of mind so far as the defence of the petitioner is concerned. It is true, as rightly submitted by the counsel for the petitioner, that the order regarding recovery of pecuniary loss sustained by the Government being a minor penalty under Clause (iv) of Rule 49 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules can be awarded after giving opportunity of making representation as provided in Rule 55A of the said Rules read with Rule 168 of the Bihar Board Miscellaeous Rules; nonetheless, even in the matter of imposition of minor the rithness of that charges are formally framed by the disciplinary authority and the dolinguent is than given opportunity to sho cause. In the instant case no such course was adopted. Without framing any charge-sheet, by simply asking him to explain the shortage/ audit report, the impugned order was passed. In these premises, I am constrained to hold that the impugned decision suffers from violation of rules of natural justice and therefore, cannot be sustained. In the result, the decision as contained in letter dated 31.12.98 (supre) and the consequentioa cations including Annexure-11 (supra) are quasked but with liberty to the nespondents to pass fresh order in the matter in bance with raw	

C.A.G. Para-5.7/92-93 (अनु)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
पूर्णियां, सिवान, समस्तीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर,
वीरपुर, डेहरी, भागलपुर, दरभंगा, पटना, यांत्रिक पटना

पटना, दिनांक-26 अप्रील, 2001

विषय : सेट सिमेंट की बोरियों का उपयोग बोल्डर के रूप में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है, कि आपके परिक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों के अन्तर्गत लेखा में जो अनुपयोगी सेट सिमेंट के बोरे उपलब्ध हैं, उनका बोल्डर के रूप में प्रयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से स्वीकृत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में कराकर लेखा शून्य करा लिया जाय ताकि विभाग में अगले वर्ष सेट सिमेंट लेखा में नहीं रहे। सेट सिमेंट का बोल्डर के रूप में उपयोग करने में मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि स्टोर से स्थल की दूरी न्यूनतम हो।

लेखा के सभी सेट सिमेंट का बोल्डर के रूप में उपयोग करने के पश्चात् प्रमंडल से यह प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जाय कि लेखा में अब कोई सेट सिमेंट नहीं है। यदि अगले वर्ष किसी मुख्य अभियंता के परिक्षेत्राधीन सेट सिमेंट की बोरी किसी लेखा में पायी जायेगी तो इसके लिये वे उत्तरदायी होंगे।

विश्वास भाजन
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।

मुद्रक : वातायन, फ्रेजर रोड, पटना